[2021] 5 एस. सी. आर. 559

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ निजी

सीमित और एक और

वी.

अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी.

(सिविल अपील सं. 2021 का 498-501)

14 जुलाई, 2021

[एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना, जे. जे।]

रेगिन्स। 18 (15) (ग) और 39 से 42-छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को समाप्त करने की व्याख्या-उच्च न्यायालय ने शासन की व्याख्या की 18 (15) (ग) और विनियम 39 (2) (क) ने अभिनिर्धारित किया कि विनियम 39 (2) के खंड (क) के अधीन किसी योजना को समाप्त करने के न्यासियों के निर्णय के लिए विनियम 18 (15) (ग) के अनुसार अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति आवश्यक है--

एस. ई. बी. आई., न्यासियों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का मामला

कि यूनिटधारकों की पूर्व सहमति की परिकल्पना नहीं की जाती है जब

न्यासी, या एस. ई. बी. आई. के हित में किसी योजना को समाप्त करने का निर्देश देता है

यूनिटधारकों; और न्यासियों और एस. ई. बी. आई. का निर्णय

एक योजना को समाप्त करना अंतिम है और यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी है-अपील इस न्यायालय के समक्ष-इस न्यायालय ने चुनाव को स्वीकार करते हुए अपने पहले के आदेश में

परिणाम, छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को समाप्त करने का निर्देश-जहां तक संबंध है, विनियमन 39 से 42 की व्याख्या और विनियमन के साथ उनके अंतर्संबंध 18 (15) (ग) और 39 से 42 तक की संवैधानिक वैधता, अभिनिर्धारित की गई: 1996 के विनियम मैनिफेस्ट के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं हैं।

इस प्रकार, 1996 के विनियम संवैधानिक रूप से मान्य हैं -

विनियमन 39 से 42 के साथ विनियमन 18 (15) (सी) में सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने का अर्थ होगा कि न्यासियों की राय

खड़ा रहेगा, लेकिन यूनिटधारकों की सहमति एक पूर्व-आवश्यकता है

समापन के लिए-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992।

1996 के विनियमों की संवैधानिक वैधता:

1996 के विनियम मैनिफेस्ट के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं हैं।

मनमानी-चूंकि नियम आर्थिक प्रकृति के हैं।

विनियम, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, संयम

प्रयोग किया जाएगा जब तक कि स्पष्ट आधार हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते-विचार

विशेषज्ञों के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह डाल सकता है

बाजार गंभीर खतरे में पड़ जाता है और अनपेक्षित जटिलताओं का कारण बनता है। 18 (15) (ग) और 39 से 42 तक।

रेग 18 (15) (सी) रेग 39 से 42 के साथ-रेग 39 से 42 की व्याख्या, रेग के साथ उनकी परस्पर क्रिया और सामंजस्यपूर्ण निर्माण 18 (5) (ग) आयोजित: विनियमन 39 (2) के खंड (क) के अधीन -

किसी योजना का समापन न्यासियों के पास निहित है, खंड (बी) के तहत यूनिटधारकों के साथ और खंड (सी) के तहत एस. ई. बी. आई. के साथ, हालांकि, विनियमन 18 (15) (सी) के तहत न्यासियों को इकाई धारकों की सहमति लेनी होती है, जब वे बहुमत से किसी योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

- नियम 18 (15) (सी) में 'शॉल' शब्द का उपयोग एक आदेश के रूप में किया जाता है।

अभिव्यक्ति 'जब अधिकांश न्यासी समाप्त करने का निर्णय लेते हैं

विनियमन 18 (15) (सी) में स्पष्ट रूप से विनियमन 39 (2) के खंड (ए) को संदर्भित किया गया है क्योंकि यह एकमात्र विनियमन है जो न्यासियों को समाप्त करने का अधिकार देता है

योजना-नियम 18 (15) (सी), जब यह न्यासियों के समापन के निर्णय को संदर्भित करता है ऊपर, यह योजना योजना को समाप्त करने के लिए न्यासियों की राय का तात्पर्य है-- आवेदन करना

1996 के विनियमों के संदर्भ में सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का अर्थ यह होगा कि न्यासियों की राय बनी रहेगी, लेकिन इकाईधारकों की सहमति समाप्त करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है-यह व्याख्या किसी भी तरह से खंड (बी) को विनियमन 39 (2) के अर्थहीन या निरर्थक नहीं बनाती है।

75 प्रतिशत यूनिटधारकों का उदाहरण-खंड (बी) किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि खंड (सी) से विनियमन 18 (15) को पढ़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह सरल शब्दों में आदेश देता है-विनियमन 41 का उल्लेख और उससे संबंधित है

समाप्त करने की प्रक्रिया और तरीका, जिसे विनियमन 18 (15) (सी) द्वारा अभिनिर्धारित सहमति की आवश्यकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है-विनियमन 41 (1) उन मामलों में भी लागू होता है जहां 75 प्रतिशत यूनिटधारकों ने विनियमन 39 (2) (बी) के तहत योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है या जहां एस. ई. बी. आई. विनियमन 39 (2) (सी) के तहत यूनिटधारकों के हित में योजना को समाप्त करने का निर्देश देता है-दूसरी ओर विनियमन 18 (15) (सी) केवल तभी लागू होता है जब अधिकांश न्यासी एक राय बनाते हैं और

इकाइयों को पूरी तरह से बंद करने या समय से पहले भुनाने का निर्णय लें, ए विनियमन 39 (2) (ए) द्वारा कवर की गई स्थिति-विनियमन 18 (15) (सी) के जनादेश की अनदेखी करने से विधायी इरादे को रद्द कर दिया जाएगा-विनियमन 15 से विनियमन 18 तक खंड (सी) के तहत यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य है, जब न्यासी विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत एक योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

18 (15) (ग) उनकी सहमति की आवश्यकता होती है, उनकी भूमिका और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्ट सेवाएँ पी. वी. टी. के अधिकार को कमजोर करती है।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग

भाग लेना-विनियमन 18 (15) (सी) के उद्देश्य के लिए 'सहमति' उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति को संदर्भित करती है।

39 से 42 तक की सुसंगत व्याख्या करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 39 (3) के तहत नोटिसों के प्रकाशन से पहले यूनिटधारकों की सहमति की आवश्यकता नहीं है-नोटिस के प्रकाशन और 39 (3) के तहत समाप्त होने के कारणों के प्रकटीकरण के बाद यूनिटधारकों की सहमति मांगी जानी चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि योजना के यूनिटधारकों की सहमति आवश्यक होगी यदि

न्यासी कंपनी के अधिकांश निदेशक एक योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

विनियमन 39 (2) (ए), 39 (3)-न्यासी-धारण करने की शक्तिः विनियमों में ही पर्याप्त मार्गदर्शन और सुरक्षा उपाय हैं

कोष को समाप्त करने पर निर्णय लेने के लिए न्यासियों की शक्ति-यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि न्यासियों को विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत किसी योजना को समाप्त करने के लिए पूर्ण और बेलगाम शक्ति दी गई है।

खंड (ए) से लेकर विनियमन 39 (2) की भाषा में कहा गया है कि न्यासियों को किसी भी घटना के घटित होने पर एक राय बनानी चाहिए जिसके लिए योजना को समाप्त करने की आवश्यकता होती है-इसके अलावा, विनियमन 39 (3) के अनुसार, न्यासियों को

योजना को समाप्त करने की परिस्थितियों का खुलासा करते हुए नोटिस देने के लिए बाध्य हैं-इस प्रकार, न्यासियों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण लेखन में, योजना को समाप्त करने की आवश्यकता है-न्यासी निवेशकों की ओर से योजना की परिसंपत्तियों को प्रत्ययी क्षमता में रखते हैं वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और इस प्रकार, विनियमन 39 (2) (ए) के तहत यह तय करने की शक्ति प्रदान की गई है कि किसी योजना को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं।

अलगाव लेकिन इन शब्दों के साथ 'योजना को समाप्त करने की आवश्यकता है' इस तरह से पढ़ें, कोई अस्पष्टता नहीं है जिसे मनमानेपन के क्षेत्र में पार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, दूसरी ओर, पूर्व शर्त वैधानिक जनादेश स्पष्ट है-यह एक मामला नहीं है

अत्यधिक प्रत्यायोजन जिसमें विधायी कार्य को त्याग दिया गया है और न्यासियों को सौंप दिया गया है जो उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं

सनक और कल्पना-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्णय कि विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत न्यासियों की राय को विनियमन 18 (15) (सी) के अधिदेश के संदर्भ में यूनिटधारकों द्वारा सहमति दी जानी चाहिए, स्वीकार किया जाता है।

यूनिटधारक और लेनदार-आयोजित के बीच अंतरः

विनियम सही ढंग से लेनदारों और [2021] 5 एस. सी. आर. के बीच अंतर करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूनिटधारक-यूनिट धारक ऐसे निवेशक होते हैं जो जोखिम उठाते हैं और, इस प्रकार, लाभ और लाभ के हकदार हैं और उन्हें नुकसान भी उठाना चाहिए, यदि कोई हो-यूनिटधारक निश्चित वापसी या मूल राशि के संरक्षण के हकदार नहीं हैं, जबकि लेनदार पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंधों के अनुसार निश्चित वापसी के हकदार हैं-उनकी वापसी की दर ब्याज की प्रकृति में है न कि लाभ या हानि लेनदारों को जोखिम नहीं है।

लेने वाले जैसा कि यूनिटधारकों के मामले में है-यूनिटधारकों की तुलना लेनदारों या घर खरीदारों के साथ करना अनुचित होगा और

असंगत।

विनियमन 53-म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी-ए. एम. सी. द्वारा लाभांश किराए या आय के प्रेषण के संबंध में प्रावधान-खंड (बी) से विनियमन 53 की व्याख्या के लिए आवश्यक है कि ए. एम. सी. मोचन या पुनर्खरीद की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर मोचन या पुनर्खरीद राशि भेजे-इस संबंध में कि क्या ए. एम. सी. या न्यासी विनियमन 39 (3) के संदर्भ में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले प्राप्त अनुरोधों के लिए मोचन या पुनर्खरीद आय का सम्मान करने और भुगतान करने के लिए बाध्य हैं-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विनियमन 40 के खंड (ए) में 'व्यवसाय' अभिव्यक्ति व्यावसायिक गतिविधि को संदर्भित करती है और इस प्रकार, इकाई धारकों को मोचन आय का भुगतान शामिल होगा, जिसमें मोचन के लिए अनुरोध शामिल होगा। तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, जो लंबित होने के बाद संभव होगा।

कार्यवाही का समापन किया जाता है-इसे ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर कई मुद्दों को खुला छोड़ दिया जाता है-तत्काल आदेश में अवलोकन और पहले

आदेश को किसी भी विवादित तथ्यों पर बाध्यकारी तथ्यात्मक निष्कर्षों या निष्कर्षों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जो कि कारणदर्शक नोटिस और परिणामी निर्णय का विषय हो सकता है, हालांकि विनियमन 18 (15) (सी) और विनियमन 39 से 42 की कानूनी व्याख्या निर्णायक और बाध्यकारी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992: एस. 11 , 11 बी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-SEBI के कार्य

निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने की शक्ति-समझाया गया।

विधियों की व्याख्या: व्याख्या की प्रक्रिया-तीन चरण, शाब्दिक व्याख्या, प्रस्तावात्मक व्याख्या और

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-आयोजित: व्याख्या कभी-कभी तीन चरणों वाली प्रक्रिया होती है-सबसे पहले, जिन शब्दों की व्याख्या की जा रही है उन्हें होना चाहिए

उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार उनके शाब्दिक और लोकप्रिय अर्थ में समझा जाता है-दूसरे चरण में, यह माना जाता है कि क्या फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी पी. वी. टी. सेवाएँ करते हैं।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग

दिए गए संदर्भ में सादा अर्थ अस्पष्ट है क्योंकि पाठ एक से अधिक व्याख्याओं के विकल्प को जन्म देता है, या प्रस्तावात्मक व्याख्या कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहती है-ऐसे मामलों में तीसरे चरण में, अदालत व्याख्यात्मक आवेदन करती है।

उपकरण प्रावधान को फिर से लिखे बिना विधायी इरादे को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या का चयन करते हैं-विधायी इरादे को प्रावधान और कानून के उद्देश्य और उद्देश्य से एकत्र किया जाता है-अदालतें झुकती हैं।

एक व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की दिशा में क्योंकि एक धारणा है कि मसौदा तैयार करने वाले एक कार्यात्मक और कार्यात्मक परिणाम लाने के लिए कानून बनाते हैं।

अलका सिंथेटिक्स एंड ट्रेडिंग बनाम। एस. ई. बी. आई. (1999) 95 कम्पोज़ केस 663; निखिल टी. पारिख बनाम। भारत संघ (2014) 2

जी. एल. एच. 582-अनुमोदित।

तमिलनाडु राज्य और एक अन्य v. टी. कृष्णमूर्ति

और अन्य (2006) 4 एससीसी 517 [2006] 3 एससीआर 396; शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 9 एससीआर 797; डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक, इलाहाबाद और अन्य बनाम। इजहार हुसैन (1989) 4 एससीसी 318: [1989] 3 एससीआर 796; महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य बनाम। जनार्दन सिंह और अन्य। (2018) 7 एससीसी 656: [2018] 5 एस. सी. आर. 81; अग्रणी शहरी भूमि और अवसंरचना

सीमित और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 8 एस. सी. सी. 416 [2019] 10 एस. सी. आर. 381; स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एस. ई. बी. आई. 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. ए. टी. 28; निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ और एक अन्य (2020) 13 एस. सी. सी. 56; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एस. सी. सी. 633 [2018] 12 एस. सी. आर. 794; भारत संघ बनाम। रमन आयरन फाउंड्री (1974) 2 एस. सी. सी. 331: [1974] 3 एससीआर 556 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 3 एससीआर 396

पै

रा 49 (एफ)

संदर्भित किया गया है

[2017] 9 एससीआर 797

पै

रा 49 (एफ)

संदर्भित किया गया है

[1989] 3 एससीआर 796

पै

रा 49 (एफ)

संदर्भित किया गया है

[2018] 5 एससीआर 81

पै

रा 49 (एफ)

संदर्भित किया गया है

[20

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 10 एससीआर 381

पै

रा 49 (एच)

संदर्भित किया गया है

(1999) 95 कम्प कैस 663

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 55

(2014) 2 जीएलएच 582

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 55

(2020) 13 एससीसी 56

पै

रा 58

संदर्भित किया गया है

[2018] 12 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पै

रा 62

[1974] 3 एससीआर 556

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 498

501 2021 से।

उच्च न्यायालय के 24.10.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कर्नाटक की ओर से, बेंगलुरु में लिखित याचिका संख्या। 8545 , 8644 , 8748 से

2020 और 2020 की रिट अपील संख्या 399।

के साथ

सिविल अपील 2021 का Nos.502,503,504-507,508,509, विशेष

2021 की अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1486 और 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) (डी) No.1563।

तुषार मेहता, एस. जी. , हरीश साल्वे, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी,

एंड कंपनी, नित्येश नटराज, वैभव आर. वेंकटेश, गोपाल सिंह, पुनीत जैन, हर्षित खांडुजा, हर्ष जैन, अक्षत माहेश्वरी, हर्षवर्धन शर्मा, नीरज शर्मा, सुश्री क्रिस्टी जैन, अर्जुन गर्ग, अभिनव श्रीवास्तव, अभिजीत श्रीवास्तव, सुश्री गरिमा तिवारी, अर्पित जैन, करण कोहली, निर्मल प्रसाद, सुश्री अदिति श्रीवास्तव, शिवम सिंह, साहिल रवीन, जयदीप खन्ना, मनीष कुमार, परितोष गुप्ता, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, सुश्री ऐश्वर्या रेड्डी, सुश्री चेस्ता जेटली, सुश्री मधुमिता

भट्टाचार्जी, सुश्री आरती जैन, सुश्री श्रीजा चौधरी, रजत नायर, सुश्री गरिमा

प्रसाद, सुश्री प्रियंका दास, अरविंद कुमार शर्मा, अनिरुद्ध श्रीराम,

धीरज नायर, कुमार किसले, अंगद बख्शी, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, वी. एम. कन्नन, संबित पांजा, अर्जुन भाटिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी.

अमृता गर्ग

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. 12 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 18 (15) (सी) की व्याख्या करते हुए और चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हुए, हमने छह म्यूचुअल फंड योजनाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया है:

फ्रैंकलिन इंडिया लो डचूरेशन फंड (अलग-अलग कोषों की संख्या)

((i)

पोर्टफोलियो-2),

((ख)

फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड (की संख्या)

पृथक पोर्टफोलियो-1),

फ्रैंकलिन इंडिया अल्पकालिक आय योजना (कुल आय की संख्या)

(iii)

पृथक पोर्टफोलियो-3),

(€ iv) फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड (अलग-अलग की संख्या)

पोर्टफोलियो-3),

(v) फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रुअल फंड (की संख्या)

अलग-अलग पोर्टफोलियो-3) और

(vi) फ्रैंकलिन इंडिया आय अवसर कोष (की संख्या)

अलग-अलग पोर्टफोलियो-2)।

वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष विचार करना जिन्हें व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह किसी का मामला नहीं है कि वैधानिक निर्णय कार्यवाही को छोड़ दिया जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, हम इन अपीलों का निपटारा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह यूनिटधारकों के

हित में नहीं होगा, जो आशावान हैं, फिर भी चिंतित और आशंकित हैं। वैधानिक निर्णय के बाद विवादित तथ्यात्मक और संबंधित मुद्दों पर अंतिम और निर्णायक निर्णय पक्षों के हित में होगा।

पूर्वाग्रह पैदा होना चाहिए। न्यायनिर्णयन कार्यवाही में आदेशों की प्रतीक्षा करने के निर्देश 12 तारीख के आदेश में शामिल किए गए हैं।

फरवरी 2021। हम आशा और विश्वास करते हैं कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी।

विनियमों का सामान्य अवलोकन

3. हम विनियमों के अवलोकन के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि वे दो मुद्दों को तय करने में हमारी सहायता करेंगे; हालाँकि, प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए, हम विनियमों को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम बाद में चुनिंदा रूप से व्याख्या की आवश्यकता वाले विनियमों को उद्धृत करेंगे।

4. विनियमों में प्रायोजक, न्यासी मंडल या न्यासी कंपनी के रूप में पारस्परिक निधियों के लिए तीन स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है।

यूनिटधारकों के लाभ के लिए ट्रस्ट में म्यूचुअल फंड। 'इकाई' शब्द को विनियमन 2 (जेड) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है योजना में इकाईधारकों का हित, जिसमें प्रत्येक इकाई योजना की परिसंपत्तियों में एक अविभाजित हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, और 'इकाईधारक' शब्द शामिल है। विनियमन 2 (जेड) (आई) में परिभाषित किया गया है कि म्यूचुअल फंड की योजना में एक इकाई रखने वाला व्यक्ति।

और एकत्रित परिसंपत्तियों को प्रदान की जाने वाली सलाहकार सेवाएं। सेवाओं को समय-समय पर एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ए. एम. सी. को विनियमों द्वारा किसी भी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने से मना किया गया है। 7. अध्याय III पारस्परिक निधियों के गठन और प्रबंधन और न्यासियों आदि के संचालन से संबंधित है। विनियम 14 में कहा गया है कि एक म्यूचुअल फंड का गठन एक ट्रस्ट के रूप में किया जाएगा और ट्रस्ट का साधन एक विलेख के रूप में होगा, जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होगा, जिसे प्रायोजक द्वारा फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज पी. वी. टी. के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

न्यासियों से। विनियम 15 (1) में यह अपेक्षा की गई है कि न्यास विलेख में ऐसे खंड शामिल होंगे जिनका उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।

विनियम और ऐसे अन्य खंड जो इकाईधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। विनियम 15 (2) आदेश देता है कि किसी भी न्यास विलेख में ऐसा खंड नहीं होगा जिसका प्रभाव (क) सीमित करने या किसी म्यूचुअल फंड या यूनिटधारक के संबंध में ट्रस्ट के दायित्वों और देनदारियों को समाप्त करना; या (बी) ट्रस्टी या ए. एम. सी. की ओर से लापरवाही या कमीशन या चूक के कार्यों से यूनिटधारक को हुए नुकसान या क्षति के लिए ट्रस्टी या ए. एम. सी. को क्षतिपूर्ति करना। विनियम 16 न्यासी के रूप में नियुक्ति से अयोग्यता के मानदंडों को सूचीबद्ध करता है। वास्तव में, यह पात्रता आवश्यकताओं को निर्धारित करता है

कर्मचारी किसी भी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं। विनियमन 17 में किसी व्यक्ति को न्यासी के रूप में नियुक्त करने से पहले एस. ई. बी. आई. की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड के मौजूदा न्यासियों के मामले में, वे न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए एक न्यासी कंपनी बना सकते हैं, भले ही वे एस. ई. बी. आई. के पूर्व अनुमोदन से हों। न्यासी निर्दिष्ट आचार संहिता से बाध्य हैं। पाँचवीं अनुसूची, साथ ही सामान्य और विशिष्ट उचित परिश्रम आदेश।

8. विनियम 18 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 29 उप-विनियमों में न्यासियों के अधिकारों और दायित्वों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है। न्यासी और ए. एम. सी., विनियमन 18 (1) के अनुसार, एस. ई. बी. आई. के पूर्व अनुमोदन के साथ एक निवेश प्रबंधन समझौता कर सकते हैं। इस तरह की

समझौते में चौथी अनुसूची में उल्लिखित खंड होने चाहिए और

अन्य खंड जो निवेश करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं। उप-विनियम ए. एम. सी. द्वारा किसी योजना को शुरू करने से पहले संतुष्ट की जाने वाली आवश्यकताओं की गणना करते हैं। वे बाध्य करते हैं कि न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि ए. एम. सी. दलालों को सूचीबद्ध करने और दलालों के साथ प्रतिभूति लेनदेन की निगरानी करने और किसी भी दलाल के साथ व्यवसाय के अनुचित केंद्रीकरण से बचने में मेहनती रहा है। न्यासियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ए. एम. सी. ने किसी भी सहयोगी को कोई अनुचित या अनुचित लाभ नहीं दिया है या अपने किसी भी सहयोगी के साथ किसी भी तरह से यूनिटधारकों के हित के लिए हानिकारक व्यवहार नहीं किया है और ए. एम. सी. द्वारा किए गए लेनदेन के अनुसार हैं। नियम और योजना। न्यासियों को अपने [2021] 5 एस. सी. आर. में ए. एम. सी. के प्रमुख कर्मियों द्वारा प्रतिभूतियों में लेनदेन के विवरण के लिए कॉल करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपना नाम या ए. एम. सी. की ओर से और आवश्यकता पड़ने पर इसकी रिपोर्ट एस. ई. बी. आई. को दें। उप-विनियमों में न्यासियों को म्यूचुअल फंड, ए. एम. सी. और उसके सहयोगियों के बीच सभी लेनदेन की तिमाही समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। न्यासियों को तिमाही आधार पर ए. एम. सी. के निवल मूल्य की भी समीक्षा करनी है। निवल मूल्य में किसी भी कमी के मामले में, न्यासियों को यह सुनिश्चित करना था कि ए. एम. सी. विनियमन 21 (1) (एफ) के संदर्भ में कमी की भरपाई करे। 1 न्यासियों को अर्ध-वार्षिक आधार पर म्यूचुअल फंड की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट एस. ई. बी. आई. को प्रस्तुत करनी है।

प्रमाण पत्र कि ए. एम. सी. के किसी भी न्यासी, निदेशक या प्रमुख कार्मिक द्वारा स्व-लेन-देन या अग्रिम संचालन की कोई घटना नहीं हुई है, और ए. एम. सी. स्वतंत्र रूप से योजनाओं का प्रबंधन कर रहा है।

यदि विनियमन 24 (बी) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई भी गतिविधि ए. एम. सी. द्वारा की गई है, तो उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि यूनिटधारकों के हितों का ध्यान रखा जाए।

संरक्षित। 2.

9. विनियमों का अध्याय IV संविधान से संबंधित है और

ए. एम. सी. और संरक्षक का प्रबंधन। ए. एम. सी. की नियुक्ति प्रायोजक या न्यासी द्वारा की जाती है, यदि न्यास विलेख द्वारा अधिकृत किया जाता है। हालांकि,

विनियमन 20 (3) में कहा गया है कि ए. एम. सी. की नियुक्ति में कोई भी बदलाव एस. ई. बी. आई. और यूनिटधारकों की मंजूरी के अधीन है। विनियमन 21 ए. एम. सी. के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों की गणना करता है। ए. एम. सी. के निदेशक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास पर्याप्त पेशेवर हों। वित्त और वित्तीय सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव और नैतिक अधमता का दोषी या किसी आर्थिक अपराध या किसी प्रतिभूति कानून के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए। ए. एम. सी. के प्रमुख कर्मियों को उपरोक्त के लिए दोषी नहीं पाया जाना चाहिए था, और न ही उन्हें उस अवधि के दौरान किसी ए. एम. सी./म्यूचुअल फंड/मध्यस्थ के लिए काम करना चाहिए था जब इसका पंजीकरण एस. ई. बी. आई. द्वारा निलंबित या रद्द कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ

ए. एम. सी. के निदेशकों के पास कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक होने चाहिए जो सहयोगी नहीं हैं, या प्रायोजक या इसके किसी भी सदस्य के साथ किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं।

सहायक या न्यासी। ए. एम. सी. की कुल संपत्ति Rs.50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। विनियमन 24 ए. एम. सी. की व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करता है। विनियमन 25

दायित्वों को निर्दिष्ट करता है और 1 1 5 मार्च 2021 से प्रभावी SEBI (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2021 के बाद की स्थिति की जांच नहीं की गई है।

2 विनियमन 24 के कानूनी प्रभाव की जांच नहीं की गई है।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

ए. एम. सी. की जिम्मेदारियाँ, जिनमें उचित कदम उठाना और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम करना शामिल है कि किसी भी योजना से संबंधित धन का निवेश विनियमों और न्यास विलेख के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। ए. एम. सी. अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों द्वारा कमीशन या चूक के कार्यों के लिए जिम्मेदार है जिनकी सेवाएं ए. एम. सी. द्वारा प्राप्त की गई हैं। उप-विनियम (6) में कहा गया है कि ए. एम. सी. और उसके निदेशकों को, किसी भी अनुबंध या समझौते के बावजूद, छूट नहीं दी जाएगी।

इस तरह के पद या पद पर रहते हुए म्यूचुअल फंड को उनके चूक और कमीशन के कार्यों के लिए दायित्व।

10. ए. एम. सी. द्वारा व्यावसायिक लेन-देन में निष्पक्षता, निष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई शर्तें और प्रतिबंध हैं।

और नियमों का पालन करना। नियंत्रण की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें नियंत्रण, जिम्मेदारी और स्वतंत्र निर्णय की शक्ति शामिल है। मुखिया।

कार्यकारी अधिकारी, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, विनियमन 25 के उप-विनियमन (6 ए) 3 द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि म्यूचुअल फंड समय-समय पर जारी किए गए विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के सभी प्रावधानों का पालन करता है और यह कि फंड प्रबंधकों द्वारा किया गया निवेश यूनिटधारकों के हित में है। यह अधिकारी म्यूचुअल फंड के समग्र जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए जिम्मेदार है। उप.

विनियमन (6 बी) 1 से विनियमन 25 में कहा गया है कि निधि प्रबंधक, जो भी पदनाम हो, यह सुनिश्चित करेंगे कि धन का निवेश योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने और यूनिटधारकों के हित में किया जाए। 11. अध्याय 5 म्यूचुअल फंड की योजनाओं से संबंधित है और इसके तहत विनियमन 28 (1) में कहा गया है कि ए. एम. सी. द्वारा कोई भी योजना तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि इसे न्यासियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है और प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति एस. ई. बी. आई. के पास दाखिल नहीं की जाती है। विनियम 32 और 33 समापन योजनाओं में इकाइयों की क्रमशः सूचीकरण और पुनर्खरीद से संबंधित हैं, जबकि विनियम 35 इकाइयों के आवंटन और धन की वापसी से संबंधित है। विनियमन 38 के संदर्भ में, किसी योजना में गारंटीकृत वापसी प्रदान नहीं की जानी है, जब तक कि इस तरह के रिटर्न की पूरी गारंटी प्रायोजक या कंपनी द्वारा नहीं दी जाती है।

एएमसी, और उस प्रभाव का एक बयान प्रस्ताव दस्तावेज़ में दिया जाता है, जो उस व्यक्ति के नाम को दर्शाता है जो वापसी की गारंटी देगा और जिस तरह से गारंटी को पूरा किया जाना है। विनियम 38 ए परमिट

निम्नलिखित के अधीन एक पूंजी संरक्षण-उन्मुख योजना का शुभारंभः (क) सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो संरचना की क्षमता के दृष्टिकोण से एक पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन की जा रही योजना की इकाइयाँ।

3 एस. ई. बी. आई. (म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, डब्ल्यू. ई. एफ. 29.10.2020 4 आई. बी. आई.

21] 5 एस सी आर।

उसमें निवेश की गई पूंजी की राशि; (ख) योजना का निकट-समाप्त होना; और (ग) अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन जैसा कि एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। विनियमन 48 के अनुसार प्रत्येक म्यूचुअल फंड निवल राशि की गणना करेगा। प्रत्येक योजना के परिसंपत्ति मूल्य की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और इसका खुलासा एस. ई. बी. आई. द्वारा बताए गए तरीके से किया जाएगा।

12. विनियम 49 का शीर्षक 'इकाइयों का मूल्य निर्धारण' है और इसमें कहा गया है कि वह मूल्य जिस पर इकाइयों की अभिदान/बिक्री/पुनर्खरीद की जा सकती है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों को एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। बिक्री की गणना करने की पद्धति और इकाइयों का पुनर्खरीद मूल्य म्यूचुअल फंड द्वारा एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रदान किया जाना है। उप-विनियम (3) में कहा गया है कि इकाइयों की कीमत निर्धारित करते समय म्यूचुअल फंड यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के 93 प्रतिशत से कम न हो और बिक्री मूल्य शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के 107% से अधिक न हो। उप-विनियम (3) के दूसरे परंतुक के अनुसार, इकाई के पुनर्खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 5

13. विनियम 54 और 55 वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित हैं और

क्रमशः लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। विनियम 56 में वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और उसका सारांश यूनिटधारकों को प्रदान करने की आवश्यकता है। विनियमन 58 ए. एम. सी., न्यासी, प्रायोजकों और संरक्षकों द्वारा आवधिक और निरंतर प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है, जिसमें उन्हें ऐसे प्रकटीकरण करने और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं और उप-विनियमों (2) और (3) का पालन करते हैं। विनियम 59 अर्ध-वार्षिक प्रकटीकरण से संबंधित है। विनियमन 60 खुलासा करने के लिए एक सामान्य दायित्व लागू करता है

जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" निवेशकों के लिए प्रकटीकरण

60. न्यासी इस तरह के प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य होगा

उन्हें किसी भी जानकारी के बारे में सूचित रखने के लिए आवश्यक जिनका उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

न्यासियों को यूनिटधारकों को इस तरह के खुलासे करने के लिए अनिवार्य और बाध्य किया जाता है जो उन्हें किसी भी विषय के बारे में सूचित रखने के लिए आवश्यक हैं।

ऐसी जानकारी जिसका उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

14. अध्याय VIII से संबंधित है और SEBI को निरीक्षण और लेखा परीक्षा को अधिकृत करने और संचालित करने का अधिकार देता है। विनियमन 61 (1) के तहत एस. ई. बी. आई. नियुक्त कर सकता है।

5 डब्ल्यू. ई. एफ. 5.3.2021 विनियम 49 (3) में कहा गया है कि एक खुली योजना की इकाइयों का पुनर्खरीद मूल्य एन. ए. वी. के 95 प्रतिशत से कम नहीं होगा। बिक्री मूल्य के संबंध में विनियमों में कोई शर्त नहीं है।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे.]

निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के रूप में एक या अधिक व्यक्ति

लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों और अवसंरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की या पारस्परिक निधि, न्यासियों और ए. एम. सी. के मामलों की जांच करने के लिए उसमें निर्धारित उद्देश्यों के लिए। विनियमन 62 के अनुसार, एस. ई. बी. आई. निरीक्षण या जांच का आदेश देने से पहले म्यूचुअल फंड, न्यासियों या ए. एम. सी. को कम से कम दस दिनों का नोटिस जारी करेगा। तथापि, उप-विनियम (2) के अधीन, उप-विनियम (1) के होते हुए भी, एस. ई. बी. आई. बिना किसी सूचना के ऐसे निरीक्षण या जाँच का निर्देश तब दे सकता है जब यह संतुष्ट हो कि निवेशकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए। विनियमन 63 म्यूचुअल फंड/न्यासियों/ए. एम. सी. के कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करता है जिनके मामलों का निरीक्षण किया जा रहा है या

जांच की गई। जाँच अधिकारी जाँच के दौरान म्यूचुअल फंड/ट्रस्टी/ए. एम. सी. के किसी भी निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के बयानों की जाँच या रिकॉर्ड कर सकता है और ऐसा प्रत्येक म्यूचुअल फंड/ट्रस्टी/ए. एम. सी. जाँच अधिकारी को निरीक्षण या जाँच के संबंध में सभी सहायता देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। द.

निरीक्षण अधिकारी को जांच पूरी होने पर जल्द से जल्द एस. ई. बी. आई. को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। विनियमन 65 में कहा गया है कि एस. ई. बी. आई. या अध्यक्ष निरीक्षण या जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसी कार्रवाई करेंगे जो एस. ई. बी. आई. या अध्यक्ष को उचित और उचित लगे।

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) विनियम, 2008 के अध्याय V के तहत।

प्रतिभूतियों के विनियम 39 से 42 और 18 (15) और

भारतीय विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996।

15. विनियम 39 से 42 निम्नानुसार हैं:

39. (1) एक समापन योजना इकाइयों के मोचन पर योजना में निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी जब तक कि इसे उप-विनियमन (4) के तहत आगे की अवधि के लिए लागू नहीं किया जाता है। विनियम 33.

(2) पुनर्भुगतान के बाद म्यूचुअल फंड की एक योजना समाप्त हो सकती है।

इकाई धारकों को देय राशि,

" ((क) ऐसी कोई घटना घटित होने पर जिसमें न्यासियों की राय में योजना को समाप्त करने की आवश्यकता हो; या
(ख) यदि किसी योजना के इकाई धारकों का पचहत्तर प्रतिशत

एक प्रस्ताव पारित करें कि योजना को समाप्त कर दिया जाए; या [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) यदि बोर्ड इकाईधारकों के हित में ऐसा निर्देश देता है।

(3) जहां किसी योजना को उप-विनियम (2) के तहत समाप्त किया जाना है, वहां न्यासी उन परिस्थितियों का खुलासा करते हुए सूचना देंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

योजना को समाप्त करने के लिए:

" ((क) बोर्ड को; और

(ख) पूरे भारत में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, एक स्थानीय भाषा का समाचार पत्र जो उस स्थान पर प्रसारित होता है जहाँ आपसी बातचीत होती है।

कोष का गठन किया जाता है।

बंद होने का प्रभाव

40. खंड के तहत सूचना के प्रकाशन की तारीख को और उससे (ख) विनियम 39 के उप-विनियम (3) के न्यासी या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, जैसा भी मामला हो,

" (ए) के संबंध में किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखना बंद कर देता है

योजना इतनी घायल हो गई;

(ख) योजना में इकाइयों को बनाना या रद्द करना बंद कर दें;

(ग) योजना में इकाइयों को जारी करना या उन्हें भुनाना बंद कर दें।

समापन की प्रक्रिया और तरीका

41. (1) न्यासी उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटधारकों के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन के लिए यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा। न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को योजना को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत करने के लिए बैठक प्रस्ताव:

बशर्ते कि यूनिटधारकों की बैठक आवश्यक न हो

(2) (क) न्यासी या उप-विनियम (1) के तहत अधिकृत व्यक्ति संबंधित योजना की परिसंपत्तियों का सर्वोत्तम तरीके से निपटान करेगा। उस योजना के यूनिटधारकों का ब्याज।

(ख) खंड (क) के तहत प्राप्त बिक्री की आय का उपयोग पहले ऐसी देनदारियों के निर्वहन के लिए किया जाएगा जो योजना के तहत देय और देय हैं और इस तरह के समापन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद, शेष राशि

इकाईधारक को योजना की परिसंपत्तियों में उनके संबंधित ब्याज के अनुपात में उस तारीख को भुगतान किया जाएगा जब समापन का निर्णय लिया गया था।

एंकलीन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

परिसमापन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों जैसे विवरण शामिल हैं परिसमापन से पहले निधि की परिसंपत्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम

बंद करने के लिए निधि के खर्च, के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्तियाँ

इकाई धारकों को वितरण और लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र

(4) इस विनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आधे के प्रकटीकरण के संबंध में इन विनियमों के प्रावधान

वार्षिक विवरण और वार्षिक विवरण जारी रहेंगे। जब तक समापन पूरा नहीं हो जाता या योजना का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता।

42. उप-विनियम (3) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विनियम 41, यदि बोर्ड संतुष्ट है कि समापन के लिए सभी उपाय

योजना का अनुपालन कर लिया गया है, योजना बंद हो जाएगी अस्तित्व में होना "।

16. विनियम 18 (15) (सी) निम्नानुसार है:

" न्यासियों के अधिकार और दायित्व।

18 .

XX

XX

XX

(15) न्यासी इकाईधारकों की सहमति प्राप्त करेंगे -

(क) बोर्ड द्वारा जब भी इसके हित में ऐसा करने की आवश्यकता होती है

यूनिटहोल्डर्स; या

(ख) द्वारा की गई मांग पर जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होती है

किसी योजना के यूनिटधारकों का तीन-चौथाई; या

(ग) जब अधिकांश न्यासी समाप्त करने का निर्णय लेते हैं या

समय से पहले इकाइयों को छुड़ाएँ "।

विनियम 39 से 42 की व्याख्या, उनकी परस्पर क्रिया और

विनियमन 18 (15) (सी) के साथ गैर-निर्माण

भारतीय धन और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड)

■ लेशन्स, 1996।

17. विनियमन 39, जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, के 'समापन' से संबंधित है

म्यूचुअल फंड। विनियम 39 का उप-विनियम (1) लागू होता है [2021] 5 एस. सी. आर.

बंद-समाप्त योजनाओं के लिए और तदनुसार प्रासंगिक नहीं है क्योंकि विचाराधीन छह योजनाएं खुली-समाप्त योजनाएं हैं। 6

18. विनियम 39 के उप-विनियम (2) में 'अ' शब्द का प्रयोग किया गया है।

म्यूचुअल फंड की योजना, और तदनुसार खुली और बंद दोनों योजनाओं पर लागू होती है। यह एक निर्विवाद स्थिति है कि विनियम 39 का उप-विनियम (2) छह योजनाओं पर लागू होता है। विनियम 39 के उप-विनियम (2) के संदर्भ में, म्यूचुअल फंड की एक योजना को समाप्त किया जा सकता है: (क) किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके लिए न्यासियों की राय में योजना को समाप्त करने की आवश्यकता होती है; (ख) यदि इसके 75 प्रतिशत यूनिटधारक योजना को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करते हैं; या (ग) एस. ई. बी. आई. यूनिटधारकों के हित में योजना। प्रत्येक खंड के तहत आरंभकर्ता अलग होता है, और संतुष्ट होने की शर्त निर्धारित की जाती है। खंड (ए) न्यासियों को सशक्त बनाता है, जबकि खंड (बी) और (सी) क्रमशः यूनिटधारकों और एस. ई. बी. आई. को सशक्त बनाते हैं।

19. जब किसी योजना को उप-विनियम (2) के तहत "समाप्त किया जाना है", तो न्यासियों को विनियम 39 के उप-विनियम (3) द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है।

अखिल भारतीय प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में एक सार्वजनिक सूचना जहां म्यूचुअल फंड स्थित है। सार्वजनिक सूचना में उन परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए जो बंद होने की ओर ले जाती हैं योजना से। न्यासियों से यह भी अपेक्षित है कि वे एस. ई. बी. आई. को लिखें और उन परिस्थितियों का खुलासा करें जिनके कारण इस योजना को बंद किया गया।

20. प्रकाशन की तारीख को और उसके बाद से, रोक और रोक

विनियमन 40 ट्रिगर्स का अधिदेश। विनियम 40, जो सांविधिक निषेधाज्ञा की प्रकृति का है, कहता है कि विनियम 39 (3) के तहत सूचना के प्रकाशन की तारीख को और उसके बाद से न्यासी और ए. एम. सी. (ए) समाप्त होने वाली योजना के संबंध में कोई भी व्यवसाय करना बंद कर देंगे; (बी)

योजना की इकाइयों को बनाना या रद्द करना; और (ग) योजना की इकाइयों को जारी करना या उन्हें भुनाना।

21. विनियम 41, शीर्षक के अनुसार, प्रक्रिया से संबंधित है।

' विनियम 2 (च)-"क्लोज-एंडेड स्कीम" से म्यूचुअल फंड की कोई भी योजना अभिप्रेत है जिसमें योजना की परिपक्वता की अवधि निर्दिष्ट की गई है। 7 विनियम 2 (ओं)-"मुक्त-अंत योजना" का अर्थ है म्यूचुअल फंड की एक योजना जो मोचन के लिए किसी भी अवधि को निर्दिष्ट किए बिना बिक्री के लिए इकाइयों की पेशकश करती है।

82 (जेड) (i) एस. ई. बी. आई. (म्यूचुअल फंड) विनियमन 1996, "इकाई धारक" का अर्थ है म्यूचुअल फंड की योजना में एक व्यक्ति धारक इकाई।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

योजना से ऊपर। बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटधारकों के साधारण बहुमत से मतदान किया जाता है। इस बैठक में यूनिटधारक योजना को समाप्त करने के निर्णय की जांच, पुष्टि या अस्वीकार नहीं करते हैं। मतदान उस व्यक्ति के चयन तक सीमित है-या तो न्यासी या कोई तीसरा व्यक्ति-जो 'योजना को समाप्त करने के लिए कदम' उठाएगा।

22. विनियम 41 (2) (ए) में यह अपेक्षा की गई है कि विनियम 41 (1) के तहत अधिकृत व्यक्ति या न्यासी को परिसंपत्तियों का निपटान करना चाहिए।

यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में योजना। विनियम 41 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) में कहा गया है कि बिक्री आय का उपयोग पहले योजना के तहत देय और देय देनदारियों के निर्वहन के लिए किया जाएगा। दूसरा, समापन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। शेष राशि का भुगतान यूनिटधारकों को योजना में उनके संबंधित हितों के अनुपात में उस तारीख को किया जाएगा जब समापन का निर्णय लिया गया था। खंड उन लेनदारों के बीच अंतर करता है जिनकी देनदारी देय और देय है, और यूनिटधारकों के बीच। लेनदारों को देय और देय राशि के भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है और यह एक मिसाल है। इसके बाद, समापन से जुड़े खर्चों के लिए उचित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। शेष राशि यूनिटधारकों को देय है। 23. विनियम 42 (2) के संदर्भ में, यूनिटधारकों को योजना की परिसंपत्तियों में उनके संबंधित ब्याज के अनुपात में भुगतान किया जाना है। द.

योजना की परिसंपत्तियों में यूनिटधारकों का ब्याज, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है विनियम 42 (2) की गणना उस तारीख के आधार पर की जाती है जब निर्णय लिया जाता है।

योजना को समाप्त करने के लिए लिया गया था। विनियमन 41 (3) के अनुसार, परिसमापन पूरा होने पर न्यासियों को एस. ई. बी. आई. को भेजना होगा और

परिसमापन पर एक रिपोर्ट जिसमें परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए उठाए गए कदम, परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए किए गए कदम, परिसमापन के लिए किए गए खर्च, परिसंपत्तियों को वितरित करने के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्तियां और लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र जैसे विवरण शामिल हैं। उप-विनियम (4), एक गैर-अबाधित प्रावधान, बताता है कि अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक के रूप में प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकता रिपोर्ट तब तक जारी रहेगी जब तक कि समापन पूरा नहीं हो जाता या योजना का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। विनियम 42 में कहा गया है कि विनियम 41 (3) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यदि एस. ई. बी. आई. संतुष्ट है कि समापन से संबंधित सभी उपायों का पालन किया गया है, तो योजना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

24. विनियम 42 ए में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड योजना की इकाइयों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा। एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. विनियमन 18 (15) (सी), जो न्यासियों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित है, सरल शब्दों में न्यासियों से निम्नलिखित की सहमति लेने की अपेक्षा करता है -

इकाइयों को छुड़ाएँ। विनियमन 18 (15) (सी) में "समापन" शब्द, प्रथम दृष्टया मुक्त-अंत योजना के समापन और अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है। " इकाइयों को समय से पहले भुनाना 'क्लोज-एंडेड योजना के तहत इकाइयों के समय से पहले भुनाने को संदर्भित करता है।

उच्च न्यायालय का निर्णय और एस. ई. बी. आई की दलीलें

न्यासी और ए. एम. सी.

26. चुनौती के तहत निर्णय, विनियमन की व्याख्या

18 (15) (ग) और विनियम 39 (2) (क) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विनियम 39 (2) के खंड (क) के अधीन किसी योजना को समाप्त करने का न्यासियों का निर्णय अनिवार्य है।

27. इस निष्कर्ष और व्याख्या का विरोध करते हुए, एस. ई. बी. आई., न्यासियों और ए. एम. सी. का तर्क है कि विनियम 39 से 42 पूर्ण हैं। म्यूचुअल फंड की एक योजना के समापन से संबंधित कोड। विनियमन के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत संतुष्ट होने के लिए पहलकर्ता और शर्तें

39 (2) अलग-अलग हैं। यह तर्क दिया जाता है कि यूनिटधारकों की पूर्व सहमति है

इसकी परिकल्पना तब नहीं की जाती है जब न्यासी, खंड (ए) के संदर्भ में किसी घटना के घटित होने पर, यह राय बनाते हैं कि किसी योजना को समाप्त करने की आवश्यकता है, या जब खंड (सी) के तहत एस. ई. बी. आई. इकाईधारकों के हित में किसी योजना को समाप्त करने का निर्देश देता है। खंड (बी) के संदर्भ में, जब यूनिटधारक किसी योजना को लागू करना चाहते हैं, तभी 75 प्रतिशत यूनिटधारकों द्वारा एक संकल्प अनिवार्य है। यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता

विनियम 18 (15) (सी) विनियम 41 (1) द्वारा अनिवार्य रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया और तरीके को संदर्भित करता है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, जब न्यासी और एस. ई. बी. आई., खंडों के तहत आते हैं तो यूनिटधारक तस्वीर में नहीं आते हैं।

(विनियमन 39 (2) के क्रमशः क) और (ग), एक योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। उनका निर्णय अंतिम होता है और यूनिटधारकों पर बाध्यकारी होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है:

" क) विनियम 18 (15) (ग) न्यासियों से इकाई धारकों की सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा करता है "जब अधिकांश न्यासी समाप्त करने का निर्णय लेते हैं"। इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि जब न्यासी योजना (योजनाओं) को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो सहमति की आवश्यकता होती है

और जब विनियमन 41 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सहमति विनियमन 41 के उद्देश्य के लिए है अर्थात न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति को योजना (योजनाओं) की संपत्ति के निपटान के लिए अधिकृत करने के लिए है।

इकाई धारक।

एंकलीन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

(ख) विनियम 18 (15) (ग) के तहत परिकल्पित सहमति न्यासियों का एक सामान्य "अधिकार और दायित्व" है और यह कि उक्त सहमति

विनियमन 41 (1) के तहत आवश्यक अनुमोदन के रूप में पढ़ा जाएगा।

(ग) यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना में विनियमन 18 (15) (ग) के तहत सहमति का अर्थ यह है कि किसी निर्णय के अनुसार किसी योजना को समाप्त करने से पहले यूनिटधारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।

न्यासियों द्वारा विनियमन 39 (2) (बी) के प्रावधानों को उक्त विनियमन के तहत अनुचित माना जाए, तो एक योजना निम्नानुसार हो सकती है:

इकाई धारकों के कहने पर (इकाई के 75 प्रतिशत पर)

समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित करने वाली योजना के धारक)।

(घ) विनियम 40 "तारीख और तारीख से" लागू होता है।

विनियमन 39 (3) (बी) के तहत न्यासियों द्वारा नोटिस का प्रकाशन और "इकाई धारकों की सहमति" की तारीख से नहीं, जो यह स्पष्ट करता है कि इकाई धारकों की सहमति पर विचार नहीं किया गया है। न्यासियों द्वारा किसी योजना (योजनाओं) को समाप्त करने का निर्णय।

(ङ) इसके अलावा, विनियम 40 (क) में यह प्रावधान है कि 39 (3) (ख) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख को और उसके बाद से, न्यासी या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, जैसा भी मामला हो, इस तरह से समाप्त की गई योजना के संबंध में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करना बंद कर देगी। इसलिए, जब न्यासी द्वारा योजना को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो 39 (2) (ए) के संदर्भ में, नोटिस जारी किया जाता है और विनियमन 40 लागू हो जाता है और इकाई की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

धारकों को लिया जाना चाहिए। " प्रस्तुतिकरण ज़ोर देता है, जो प्रस्तुत किया जाता है वह होगा

विनियमन 18 (15) (सी) को 39 से 42 में पढ़ने का कार्यात्मक और विनाशकारी प्रभाव। पूर्व-यदि आवश्यक हो तो यूनिटधारकों की सहमति जब न्यासी विनियमन के तहत किसी योजना को 'समाप्त करने का निर्णय लेते हैं'

(क), अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सूचनाओं के प्रकाशन में देरी होगी क्योंकि

विनियमन 39 (3) द्वारा आयु सीमा। इसलिए विनियमन 40 की कानूनी रोक और रोक को स्थगित कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप अराजकता और [2021] 5 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12 फरवरी, 2021 के आदेश के माध्यम से विनियमन 18 (15) (सी) में 'सहमति' शब्द की व्याख्या 28. 12 फरवरी 2021 के हमारे आदेश में, हमने विनियमन 18 (15) (सी) और उसमें 'सहमति' शब्द की व्याख्या निम्नलिखित में की है।

तरीका -

" 8. हालांकि, हम कुछ आपत्ति करने वाले इकाइयों द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज करते हुए शुरू करते हैं कि सहमति केवल उन लोगों के लिए बाध्यकारी होगी जिन्होंने म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के लिए सहमति दी है और दूसरों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। खंड के संदर्भ में 'सहमति' शब्द स्पष्ट रूप से 'अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति' को संदर्भित करता है, न कि व्यक्तिगत यूनिटधारकों द्वारा दी गई सहमति जो अकेले उनकी सहमति से बाध्य होंगे, अर्थात

उन यूनिटधारकों को बाहर रखा गया है जो सहमत नहीं हैं। दूसरे या विपरीत दृष्टिकोण को स्वीकार करना, जैसा कि कुछ आपत्ति करने वाले इकाइयों द्वारा अनुरोध किया गया है, विनियमन 18 के उप-विनियमन (15) के खंड (सी) के उद्देश्य और उद्देश्य को नकारना होगा। वास्तव में, प्रस्तुतिकरण, यदि

स्वीकृत, म्यूचुअल फंड योजनाओं और म्यूचुअल फंड विनियमों में समापन प्रावधानों को अव्यवहारिक बना देगा क्योंकि यूनिटधारकों के दो अलग-अलग वर्ग होंगे-एक सहमति से बाध्य, और अन्य जो सहमति से बाध्य नहीं हैं। नतीजतन, यह योजना बंद नहीं होगी। प्रावधान के पीछे का इरादा है

उन लोगों को भी बांधना जो सहमति नहीं देते हैं। 9. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10वां संस्करण) 'सहमति' शब्द को इस रूप में परिभाषित करता है "एक स्वैच्छिक समर्पण जो एक अन्य प्रस्ताव एन. के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज पी. वी. टी. के लिए है।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

या इच्छाएँ; किसी कार्य या उद्देश्य के संबंध में समझौता, अनुमोदन या अनुमति, विशेष रूप से। एक सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दिया गया; कानूनी रूप से प्रभावी सहमति। शब्दकोश भी परिभाषित करता है

' सामान्य सहमति का अर्थ है बिना किसी आपत्ति के गोद लेना,

चाहे प्रत्येक मतदाता सकारात्मक रूप से अनुमोदन करता हो।

" "

बैठकों के कानून और अभ्यास पर शेकलटन, 14 वीं संस्करण।,

बहुमत और बहुमत के बाध्यकारी प्रभाव को परिभाषित करते हुए, राय दी है:

विधायी और विचारशील विधानसभाओं में निर्णय लेना सामान्य बात है। उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा प्रश्न। यह है।

कभी-कभी "साधारण" बहुमत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि

एक प्रस्ताव केवल इस तथ्य से चलाया जाता है कि अधिक वोट डाले जाते हैं विपक्ष के लिए, विशेष बहुमत से अलग जहाँ

बहुमत का आकार महत्वपूर्ण है।

यह सिद्धांत लंबे समय से स्थापित किया गया है कि एक की इच्छा

निगम या निकाय को केवल संपूर्ण या एक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है इसके सदस्यों का बहुमत, और बहुमत का कार्य माना जाता है

पूरे के कार्य के रूप में।

बहुमत का वोट अल्पसंख्यकों को बांधता है।

7-31 . जब तक कि इसके विपरीत कुछ प्रावधान न हो एक साधन जिसके द्वारा निगम का गठन किया जाता है, का संकल्प

बहुमत, किसी भी प्रश्न पर, बहुमत पर बाध्यकारी है और

निगम, लेकिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

उप-विनियम (15) में 'सहमति' शब्द/अभिव्यक्ति

विनियम 18 द्वारा समाप्त करने के लिए सकारात्मक सहमति को संदर्भित करता है

' अधिकांश यूनिटधारक '। इसके विपरीत, सहमति से इनकार किया जाता है।

जब 'अधिकांश यूनिटधारक' प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हैं

योजना को समाप्त करने के लिए।

10. हालाँकि, जिस प्रश्न का उत्तर अभी भी दिया जाना बाकी है, वह है

क्या 'सहमति' का अर्थ होगा अधिकांश यूनिटधारक जो चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग करें, या सभी यूनिटधारकों का बहुमत

योजना। सवाल से जुड़ा कोरम की चिंता है,

जिसका अर्थ है कानूनी रूप से व्यवसाय करने के लिए उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों के पूरे निकाय के सदस्यों की न्यूनतम संख्या।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. उपरोक्त उद्धरण में शेकलटन ने सरल और विशेष बहुमत के बीच के अंतर का उल्लेख किया है। हमारी चर्चा के लिए अधिक उपयुक्त विलियम पॉल व्हाइट की थीसिस 'हिस्ट्री एंड फिलॉसफी' है। 1967 में प्रकाशित 'संसदीय प्रक्रिया के एक उपकरण के रूप में गणपूर्ति', जिसमें वे स्पष्ट करते हैं:

" अधिकांश विवाद जो ऐतिहासिक रूप से कोरम से जुड़े रहे हैं, उनका पता इस समस्या से लगाया जा सकता है कि

यह निर्धारित करना कि कोरम का क्या अर्थ है "। बहुत शुरुआती समय से इसे एक सामान्य नियम के रूप में मान्यता दी गई है कि पूरे समूह के लिए कार्य करने के लिए एक समूह का बहुमत आवश्यक है। सार्वजनिक निकाय के मामले में, वह शक्ति या प्राधिकरण जो

यह स्थापित करता है कि निकाय यह भी निर्धारित कर सकता है कि कोरम क्या है। स्टर्गिस का कहना है कि सामान्य संसदीय कानून कोरम को "सदस्यों के बहुमत" के रूप में निर्धारित करता है। संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार प्रतिनिधि सभा में सदस्यों के बहुमत के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता निर्धारित करती है। लेकिन यह कहना कि कोरम सदस्यों का बहुमत है, संभावित संघर्ष का रास्ता खोलता है; जो ठीक वही हुआ है।

कई मौकों पर "।

कोरम शब्द की विभिन्न परिभाषाओं की जांच करने के बाद, लेखक का मानना है कि परिभाषाएँ अपने आप में यह निर्धारित करने की कोई कुंजी नहीं देती हैं कि न्यूनतम संख्या क्या है या बहुमत क्या है। 'बहुमत' अभिव्यक्ति का अर्थ हो सकता है-(i) कुल सदस्यता सूची का बहुमत; (ii) बहिष्कृत या शामिल करें। अपराधी सदस्य; (iii) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य; या (iv) उपस्थित, मतदान करने वाले और मतदान नहीं करने वाले सदस्य। उन्होंने देखा कि विभिन्न अर्थों ने कोरम की अवधारणा के बारे में भ्रम को बढ़ा दिया है। हालांकि 1967 में स्थिति का उल्लेख करते हुए, लेखक

देखा गया:

" जैसा कि हम आधुनिक युग में उभरे हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अब तक न्यूनतम और बहुमत निर्धारित करने के लिए विधि, जिस पर अदालतों द्वारा कानूनी रूप से सहमति व्यक्त की गई है, अच्छी तरह से स्थापित है।

12. विनियमन 18 के उप-विनियमन (15) का खंड (सी) स्वयं किसी भी कोरम को निर्धारित नहीं करता है या गणना के लिए मानदंड निर्दिष्ट नहीं करता है।

परिसमापन के लिए वैध सहमति के लिए आवश्यक इकाईधारकों का बहुमत या अनुपात। दूसरी ओर, विनियमन 39 (2) का खंड (बी), एन. के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्ट सेवाएँ पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

यह निर्दिष्ट करता है कि किसी योजना के यूनिटधारकों का पचहत्तर प्रतिशत

एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि योजना को समाप्त कर दिया जाए। इसी तरह, विनियम 41 (1) में न्यासियों से उपस्थित और मतदान करने वाले साधारण बहुमत से न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को योजना को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एक बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 में कहा गया है कि जहां किसी कंपनी की शेयर पूंजी को विभाजित किया जाता है

शेयरों के विभिन्न वर्गों, किसी भी वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकारों को लिखित सहमति के साथ बदला जा सकता है

उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के कम से कम तीन-चौथाई के शेयरधारक। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 की उप-धारा (3) लाभांश चुकाने या भुगतान करने में विफलता के मामले में वरीयता शेयरों के मूल्य में तीन-चौथाई के धारकों की सहमति को संदर्भित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 शेयरधारक बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम निर्धारित करती है। 13. श्री ईश्वर चंद्र बनाम। श्री सत्यनारायण सिन्हा और अन्य, कोरम के सवाल पर इस अदालत ने फैसला सुनाया है:

" यदि किसी न किसी कारण से उनमें से एक उपस्थित नहीं हो सका, तो यह दूसरों की बैठक को अवैध नहीं बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में, जहां कोरम तय करने के लिए कोई नियम या विनियमन या कोई अन्य प्रावधान नहीं है, सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति इसे एक वैध बैठक और मामलों का गठन करेगी।

वहाँ माना जाता है कि इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है।

यह निर्णय इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों, तीसरे संस्करण (खंड) में कोरम के विषय पर व्याख्या पर भी निर्भर था। IX, पृष्ठ 48, पैरा 95), जिसमें लिखा है:

" 95. कोरम की उपस्थिति आवश्यक है। एक व्यापारिक निगम के अलावा एक निगम के कार्य, निगमों के प्रमुख हिस्से के होते हैं, जिन्हें निगमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, में

विशेष प्रथा या विशेष प्रावधान का अभाव

संविधान के अनुसार, बैठक में प्रमुख भाग उपस्थित होना चाहिए, और उस प्रमुख भाग में से विचार किए गए अधिनियम या प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत होना चाहिए। जहां, इसलिए, एक निगम में तेरह सदस्य होते हैं, एक वैध बैठक बनाने के लिए कम से कम सात उपस्थित होने चाहिए, और इन सात या उससे अधिक संख्या के बहुमत का कार्य निगम को बाध्य करेगा। यह विचार करते हुए कि क्या आवश्यक संख्या मौजूद है, केवल वे [2021] 5 एस. सी. आर.

सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो भाग लेने के लिए सक्षम हैं

बड़े पैमाने पर शरीर को चयनित शरीर पर लागू किया जाएगा। यदि कोई निगमित कार्य एक निश्चित निकाय द्वारा किया जाना है, या एक अनिश्चित निकाय के साथ निश्चित निकाय द्वारा किया जाना है, तो

निश्चित शरीर मौजूद होना चाहिए।

जहाँ एक निगम कई चुनिंदा निकायों से बना होता है, वहाँ सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक चुनिंदा निकाय का बहुमत एक कॉर्पोरेट बैठक में उपस्थित होना चाहिए; लेकिन यह नियम लागू नहीं होगा। संविधान में स्पष्ट निर्देश के अभाव में , यदि इसके अनुप्रयोग से बेतुका या असंभवता पैदा होगी।

14. कानूनों की व्याख्या के संदर्भ में 'बेतुकेपन' की अवधारणा का अर्थ किसी भी ऐसे परिणाम को शामिल करना है जो अव्यवहारिक, अव्यावहारिक, तर्कहीन, व्यर्थ या व्यर्थ, कृत्रिम या असमान जवाबी शरारत का उत्पादक हो। इसमें उल्लिखित तर्क औपचारिक या शब्दांशात्मक तर्क नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करना कि कानून लागू किया गया है, एक ऐसा मानक निर्धारित नहीं करेगा जो स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण, अनुचित है।

अनुचित या इसका कोई मतलब नहीं है। जब एक व्याख्या

व्यावहारिक कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर, अदालतें एक ऐसी व्याख्या को स्वीकार करने के लिए पक्ष बदलने से नहीं कतराती हैं जो एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है जो समाज की जरूरतों को पूरा करेगी। इसलिए, जब दो व्याख्याओं के बीच विकल्प होता है, तो हम एक से बचेंगे

' 'निर्माण' जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और इसके बजाय इस दृष्टिकोण के आधार पर 'निर्माण' को स्वीकार करना चाहिए कि मसौदा तैयार करने वाले केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएंगे। हमें जहां तक संभव हो कानून या शासन को सार्थक जीवन देने और शव से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम।

15. हम यह स्पष्ट रूप से कहने में संकोच नहीं करेंगे कि आधुनिक नियामक अधिनियम वाणिज्यिक मामलों पर बहुत अधिक असर डालते हैं और इसलिए, असुविधा, टकराव और भ्रम से बचने के लिए सटीक और स्पष्ट रूप से कानून बनाया जाना चाहिए, जिसके प्रतिकूल आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं।

वर्तमान एन. के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्ट सेवा पी. वी. टी. में विधायक। लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

इसलिए, म्यूचुअल फंड विनियमों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए मामले को प्रतिबिंबित करना चाहिए और उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

16. अधिकांश यूनिटधारकों के रूप में कोरम के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना

या म्यूचुअल फंड विनियमों के विनियम 18 (15) (सी) में 'सभी यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति' के रूप में 'सहमति' न केवल एक बेतुकेपन का कारण बनेगी, बल्कि इस तथ्य को देखते हुए एक असंभवता भी होगी कि म्यूचुअल फंड में हजारों या लाखों यूनिटधारक हैं। विशेषज्ञता की कमी, व्यावसायिक समझ, अपेक्षाकृत छोटी हिस्सेदारी आदि के कारण कई यूनिटधारक भाग लेना पसंद नहीं कर सकते हैं। योजना के सभी यूनिटधारकों के बहुमत की सहमति आगे के प्रिस्क्रिप्शन के साथ कि 'सभी यूनिटधारकों का पचास प्रतिशत' कोरम का गठन करेगा, स्पष्ट रूप से एक व्यावहारिक असंभवता है और इसलिए यह एक व्यर्थ होगा।

और पूर्वनिर्धारित व्यायाम।

17. अनिश्चितकालीन निर्वाचक मंडल में गणपूर्ति और बहुमत की समस्या के प्रति सचेत, गणपूर्ति और बैठकों के प्रश्न पर इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानूनों के पहले संस्करण में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया था:

सिद्धांत:

" 791. जहाँ एक निगम में निगम निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या होती है, वहाँ एक वैध चुनाव का गठन करने के लिए उस संख्या का बहुमत मौजूद होना चाहिए। लेकिन जहां एक निगम में अनिश्चित संख्या में निगमित निर्वाचक होते हैं, वहां बहुमत होता है।

केवल चुनाव के समय मौजूद लोगों को उपस्थित होने की आवश्यकता है।

जब चुनाव केवल एक निश्चित निकाय द्वारा किया जाना है, या चुनावी सभा में एक निश्चित और अनिश्चित निकाय शामिल होना है, तो चुनाव को वैध बनाने के लिए एक सामान्य नियम के रूप में, निश्चित निकाय के बहुमत को उपस्थित होना चाहिए। यह नहीं है।

यह आवश्यक है कि अनिश्चित निकाय का बहुमत तब तक मौजूद रहना चाहिए जब तक कि निश्चित निकाय का बहुमत हो। यदि निगम का कोई घटक भाग चुनाव में उपस्थित होने से इनकार करता है, तो यह आयोजित नहीं किया जा सकता है, और शेष भागों द्वारा चुनाव अमान्य हो जाएगा। लेकिन चुनाव में उपस्थित और मतदान से दूर रहने वाले मतदाताओं को उनके द्वारा किए गए चुनाव में सहमति माना जाता है।

उपरोक्त व्याख्या, बहुमत और गणपूर्ति के उद्देश्य से, एक निर्वाचक मंडल के बीच अंतर करती है जिसमें शामिल हैं - निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या

से बना एक निर्वाचक मंडल। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेषगिरी अय्यर ने [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सैयद हसन रजा साहिब शमसुल में उनका सहमति वाला फैसला

उलमा और दो अन्य वी। मीर हसन अली साहब और दो

अन्य लोगों ने निम्नलिखित तरीके से निश्चित और अनिश्चित संख्याओं के बीच अंतर किया था: ..... प्रथम श्रेणी के मामलों में, चयनित निकाय की संख्या तय की जाती है। मामलों के दूसरे वर्ग में, संख्या के अधीन है

प्रत्येक वर्ष या निर्दिष्ट अवधि में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, एक मंदिर समिति के मतदाताओं की संख्या या एक नगर पालिका के लिए संख्या में उतार-चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। किसी विशेष अवधि के लिए निवास, या नाबालिगों की आयु प्राप्त करने से नए मतदाता आ सकते हैं। जबकि एक चयन समिति के मामले में,

यूनिटधारकों के मामले में, संख्या में उतार-चढ़ाव हो रहा है और हमेशा बदल रहा है और इसलिए, अनिश्चित है। खरीद या मोचन के साथ यूनिटधारकों की संख्या बढ़ सकती है, कम हो सकती है और बदल सकती है। इसलिए , विनियमन 18 (15) के खंड (सी) के संदर्भ में, हम किसी भी स्पष्ट शर्त के अभाव में,

न्यूनतम कोरम निर्धारित करें और सभी यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति के रूप में 'यूनिटधारकों के बहुमत द्वारा सहमति' की आवश्यकता को पढ़ें। दूसरी ओर, इसका मतलब होगा कि अधिकांश यूनिटधारक जो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और मतदान करते हैं।

म्यूचुअल फंड को बंद करने के प्रस्ताव का समर्थन या अस्वीकार करना

योजना। जिन यूनिटधारकों ने अपनी पसंद/विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें नकारात्मक या सकारात्मक मतों के रूप में नहीं गिना जा सकता है क्योंकि वे बंद करने के प्रस्ताव को अस्वीकार या सहमति दे रहे हैं।

ऊपर।

आम और आम लोगों के लिए धन के पूलिंग और परिचालन दक्षता के लाभ निवेश का पसंदीदा तरीका है। यह उम्मीद करना गलत होगा कि इन यूनिटधारकों में से कई के पास निश्चित राय होगी जो एक चुनाव में आवश्यक और आवश्यक मतदान होगी। म्यूचुअल फंड योजना के समापन पर मतदान। ऐसे यूनिटधारक, विभिन्न कारणों से, जैसे कि समझ और विशेषज्ञता की कमी, छोटी हिस्सेदारी आदि, दूर रहना पसंद करेंगे, और यह निर्णय दूसरों पर छोड़ देंगे।

एन. के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

राय व्यक्त करने के लिए इस तरह के बहिष्कार या इनकार को प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा के साथ, हम एक 'निर्माण' को स्वीकार नहीं करेंगे जो नेतृत्व करेगा।

वाणिज्यिक अराजकता और गतिरोध के लिए। इसलिए, अनुपस्थित यूनिटधारकों की ओर से मौन को न तो स्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है न ही प्रस्ताव को अस्वीकार करना। विनियमन 18 (15) (सी), जमीनी वास्तविकता में लागू होने पर, इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह निराशाजनक हो।

वही कानून और उद्देश्य/उद्देश्य जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। हम.

बल्कि एक उचित और व्यावहारिक 'निर्माण' को स्वीकार करेंगे।

जो विधायी उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। विनियमन 18 (15) (सी) के पीछे अंतर्निहित जोर इकाईधारकों को योजना के समापन के कारण और कारण के बारे में सूचित करना है और उन्हें प्रस्ताव को स्वीकार करने और अपनी सहमति देने या अस्वीकार करने का अवसर दें। यह निराश करने और समापन करने के लिए नहीं है

असंभवता। 1943 में वापस, सदरलैंड में क़ानून और सांविधिक निर्माण, खंड 2, पृष्ठ संख्या में तीसरा संस्करण। 523 , नोट 5109 में कहा गया था:

" जहाँ एक मूर्ति को एक समकालीन और व्यावहारिक प्राप्त हुआ है व्याख्या और कानून के रूप में व्याख्या को फिर से अधिनियमित किया जाता है,

व्यावहारिक व्याख्या को इससे अधिक महत्व दिया जाता है। आम तौर पर प्राप्त करता है, और अनुमानित रूप से कानून की सही व्याख्या माना जाता है। नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि विधायिका एक मूर्ति की समकालीन व्याख्या से परिचित है, विशेष रूप से, जब एक मूर्ति द्वारा बनाई जाती है।

प्रशासनिक निकाय या कार्यकारी अधिकारी जो कानून को प्रशासित करने या लागू करने के कर्तव्य के लिए जिम्मेदार हैं, और इसलिए पुनः अधिनियमित होने पर निहित रूप से व्याख्या को अपनाते हैं।

कुछ संशोधनों के साथ, सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू किया जा सकता है। व्यावहारिक व्याख्या को सामान्य रूप से प्राप्त होने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, और इसे अनुमानित रूप से सही व्याख्या के रूप में माना जा सकता है क्योंकि मसौदा तैयार करने वाले कानून बनाते हैं।

19. हम विनियमन 18 (15) (सी) में सभी या पूरे पूल के बहुमत की सकारात्मक सहमति की आवश्यकता को नहीं पढ़ेंगे। यूनिटहोल्डर्स। 'सभी' या 'संपूर्ण' शब्द सम्मिलित नहीं हैं।

और उक्त विनियम में पाया गया। इस प्रकार, की सहमति

विनियम 18 के खंड (ग) से उप-विनियम (15) के प्रयोजन के लिए यूनिटधारकों का अर्थ होगा उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटधारकों का साधारण बहुमत।

उपरोक्त व्याख्या कई अस्पष्ट क्षेत्रों को हल करती है और विनियम 39 से 42 के निर्माण और उनकी परस्पर क्रिया को रेखांकित करेगी।

विनियम 18 (15) (सी) के साथ।

29. उद्धरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्याख्या कभी-कभी तीन चरणों की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जिन शब्दों की व्याख्या की जा रही है, उन्हें समझना चाहिए।

कानून का स्पष्ट उद्देश्य, इसे निरर्थकता में बदल देता है, व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक या यहां तक कि अतार्किक भी है। ऐसे मामलों में तीसरे चरण में, न्यायालय व्याख्यात्मक उपकरणों को लागू करते हुए प्रावधान को फिर से लिखे बिना विधायी इरादे को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या का चयन करता है या नीली पेंसिल लगाता है। विधायी आशय को प्रावधान की भाषा तक सीमित करके नहीं, बल्कि प्रावधान और विधान के उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में एकत्र किया जाता है। अदालतें एक व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की ओर झुकती हैं क्योंकि एक धारणा है कि मसौदा तैयार करने वाले एक कार्यात्मक और कार्यात्मक परिणाम लाने के लिए कानून बनाते हैं। विनियम 39 से 42 के साथ विनियम 18 (15) (सी) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या

30. खंड (ए) के तहत विनियमन 39 (2) न्यासियों के साथ और खंड के तहत यूनिटधारकों के साथ एक योजना को समाप्त करने की शक्ति निहित करता है।

अधिकांश लोग एक योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। विनियम 18 (15) (सी) 'विल' शब्द के उपयोग से प्रतिबिंबित होता है जिसे एक आदेश के रूप में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, विनियम 18 (15) (सी) में अभिव्यक्ति 'जब न्यासियों का बहुमत समाप्त करने का निर्णय लेता है' स्पष्ट रूप से विनियम 39 (2) के खंड (ए) को संदर्भित करता है क्योंकि यह एकमात्र विनियम है जो न्यासियों को समाप्त करने का अधिकार देता है

योजना। विनियम 18 (15) (सी), जब यह न्यासियों के समाप्त करने के निर्णय को संदर्भित करता है, तो यह योजना को समाप्त करने के लिए न्यासियों की राय को इंगित करता है। न्यासियों का निर्णय लेने के बजाय, जैसा कि एस. ई. बी. आई. द्वारा सुझाव दिया गया है, न्यासियों और ए. एम. सी., विनियमन 18 (15) (सी) स्वयं ही उनकी व्याख्या को स्वीकार किए जाने की स्थिति में अनुचित हो जाएगा। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ होगा कि विचाराधीन विनियमों के संदर्भ में न्यासियों की राय बनी रहेगी, लेकिन इकाईधारकों की सहमति समाप्त करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

31. हमें नहीं लगता कि यह व्याख्या किसी भी तरह से कमजोर या कमजोर होती है।

विनियमन 39 (2) के खंड (बी) को अर्थहीन या अनावश्यक बनाता है। यह खंड लागू होता है जहां परिसमापन प्रक्रिया यूनिटधारकों के कहने पर शुरू की जाती है, यानी योजना के 75 प्रतिशत यूनिटधारकों द्वारा परिसमापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। खंड (बी) किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि विनियमन 18 (15) के खंड (सी) को सरल शब्दों में पढ़ा नहीं जाना चाहिए। 32. विनियम 41, जैसा कि ऊपर समझाया गया है, समापन की प्रक्रिया और तरीके को संदर्भित करता है और उससे संबंधित है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है

विनियमन 18 (15) (सी) द्वारा अभिनिर्धारित सहमति की आवश्यकता। इसके विपरीत तर्क, विनियमन 18 (15) (सी) को विनियमन 41 (1) के साथ तुलना करना भाषा में अंतर और दोनों विनियमों के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को नजरअंदाज करता है। विनियमन 41 (1) उन मामलों में भी लागू होता है जहां 75 प्रतिशत यूनिटधारकों ने विनियमन 39 (2) (बी) के तहत योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है या जहां एस. ई. बी. आई. विनियमन 39 (2) (सी) के तहत यूनिटधारकों के हित में योजना को समाप्त करने का निर्देश देता है। दूसरी ओर विनियमन 18 (15) (सी) केवल तभी लागू होता है जब अधिकांश न्यासी एक राय बनाते हैं और इकाइयों को बंद करने या समय से पहले भुनाने का निर्णय लेते हैं।

पूरी तरह से, विनियमन 39 (2) (ए) द्वारा कवर की गई स्थिति। विनियम 18 (15) (सी) के अधिदेश की उपेक्षा करने से विधायी इरादे को एक अव्यवस्थित और जटिल तर्क का सहारा लेकर रद्द कर दिया जाएगा कि विनियम 18 (15) (सी) और 41 (1) समान हैं और एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। विनियम 18 (15) का खंड (ग) विनियम 41 के उप-विनियम (1) की नकल नहीं करता है। 33. इसी तरह, विनियमन 18 (15) में खंड (डी) को हटाना और 22 मई 2000 से एस. ई. बी. आई. (म्यूचुअल) द्वारा 18 (15 ए) को शामिल करना।

निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 अप्रासंगिक है। इसके लोप से पहले, विनियमन 18 (15) के खंड (डी) में कहा गया था:

> जो योजना को संशोधित करेगा या ब्याज को प्रभावित करेगा यूनिटधारकों को तब तक लागू करने का प्रस्ताव है जब तक कि कम से कम तीन-चौथाई यूनिट धारकों की सहमति प्राप्त न हो जाए: बशर्ते कि ऐसा कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि तीन चौथाई इकाई धारकों ने अपनी सहमति नहीं दी हो और जो इकाई धारक अपनी सहमति नहीं देते हैं, उन्हें अपनी हिस्सेदारी वापस लेने की अनुमति नहीं है।

योजना।

बशर्ते कि एक मुक्त अंत योजना के मामले में, सहमति

यूनिटधारकों की आवश्यकता नहीं होगी यदि: (i) मौलिक विशेषता में परिवर्तन एक के बाद किया जाता है।

इकाइयों के आवंटन की तारीख से वर्ष।

((ii) यूनिटधारकों को प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाता है। व्यक्तिगत संचार और एक विज्ञापन भेजकर मौलिक विशेषता अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में दी जाती है

राष्ट्रव्यापी प्रसार और भाषा में प्रकाशित एक समाचार पत्र में

उस क्षेत्र का जहाँ म्यूचुअल फंड का मुख्य कार्यालय स्थित है।

(iii) यूनिटधारकों को प्रचलित नेट से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाता है।

बिना किसी निकास भार के परिसंपत्ति मूल्य।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनों के लिए "मौलिक

विशेषताओं का अर्थ है निवेश का उद्देश्य और निवेश की शर्तें।

योजना "।

उसी संशोधन द्वारा उप-विनियम (15 ए) जोड़ा गया है।

और पढ़ता है:

" (15 क) न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी योजना या न्यास या देय शुल्क और व्यय या किसी अन्य परिवर्तन के मूल गुणों में कोई बदलाव न हो जो योजना को संशोधित करेगा और प्रभावित करेगा। यूनिटधारकों का हित तब तक पूरा किया जाएगा जब तक कि -

(i) प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में प्रत्येक इकाईधारक को एक लिखित संचार भेजा जाता है और एक विज्ञापन एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में दिया जाता है जिसका राष्ट्रव्यापी प्रसार होता है और साथ ही उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र में भी विज्ञापन दिया जाता है जहां प्रमुख

म्यूचुअल फंड का कार्यालय स्थित है; और

((ii) यूनिटधारकों को प्रचलित स्थिति में बाहर निकलने का विकल्प दिया जाता है।

बिना किसी निकास भार के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य "।

विनियम 18 (15 ए) और विनियम के बीच अंतर

18 (15) ((ग) स्पष्ट है। शब्द 'का समापन या समय से पहले मुक्ति

विनियमन 18 (15) (सी) में इकाइयों का उल्लेख विनियमन 39 (2) (ए) द्वारा कवर की गई स्थिति से है, यानी जब न्यासियों के निर्णय के अनुसार योजना को समाप्त किया जा रहा है। दूसरी ओर, विनियम 18 (15 ए) ऐसा करता है। जब योजना को समाप्त किया जा रहा हो तो यह लागू नहीं होता है, बल्कि यह तब लागू होता है जब योजना की मौलिक विशेषताओं को बदलने का प्रस्ताव होता है।

एस. ई. बी. आई. (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

शुल्क या व्यय या कोई अन्य परिवर्तन जो योजना को संशोधित करेगा और

योजना का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। 34. विनियम 39 (2) के खंड (ए) के तहत मामलों में यूनिटधारकों को योजना से बाहर निकलने या बाहर नहीं निकलने का कोई अधिकार या विकल्प नहीं है और उन्हें भुगतान किया जाता है।

विनियम 41 की शर्तें। विनियमन 18 (15 ए) इकाईधारकों को बिना किसी निकास भार के प्रचलित 'शुद्ध संपत्ति मूल्य' से बाहर निकलने या परिवर्तित/संशोधित योजना के साथ जारी रखने का विकल्प देता है। विनियमन 18 (15) के हटाए गए खंड (डी) के तहत, योजना में मौलिक परिवर्तनों के लिए कभी-कभी तीन-चौथाई यूनिटधारकों की सहमति आवश्यक थी। यह

विनियमन 18 (15 ए) के तहत आवश्यक नहीं है। खंड (घ) का लोप

उप-विनियम 18 (15) और विनियम 18 में उप-विनियम (15 ए) का सम्मिलन, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अप्रासंगिक है और वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं है। यदि कुछ भी हो, तो मसौदा तैयार करने वाले खंड (सी) से 18 (15) को बनाए रखते हुए, विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के साथ इसके संबंध को फिर से लागू करते हैं। तदनुसार, विनियमन 18 के उप-विनियम 15 के खंड (सी) के तहत यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य है जब न्यासी विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत किसी योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। 35. यह तर्क कि यूनिटधारक सामान्य व्यक्ति हैं और बाजार की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, 12 फरवरी 2021 के आदेश के आलोक में खारिज किया जाना चाहिए। दोहराव के जोखिम पर इस क्रम के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

" 18. शेयर बाजार में निवेश, हालांकि फायदेमंद और आकर्षक है, इसके लिए पोर्टफोलियो निर्माण, स्टॉक चयन और निवेश में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

बाजार का समय। परिचर जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, पोर्टफोलियो के विविधीकरण को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड आम और आम लोगों के लिए धन के पूलिंग और परिचालन दक्षता के लाभ निवेश का पसंदीदा तरीका है।

यह उम्मीद करना गलत होगा कि इन यूनिटधारकों में से कई के पास निश्चित राय होगी जो एक चुनाव में आवश्यक और आवश्यक मतदान होगी।

म्यूचुअल फंड योजना के समापन पर मतदान। ऐसे यूनिटधारक, विभिन्न कारणों से, जैसे कि समझ और विशेषज्ञता की कमी, छोटी हिस्सेदारी आदि, दूर रहना पसंद करेंगे, और यह निर्णय दूसरों पर छोड़ देंगे। राय व्यक्त करने के लिए इस तरह के बहिष्कार या इनकार को प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

1] 5 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विनियमन का उद्देश्य और उसमें उपयोग की गई भाषा के साथ, हम एक 'निर्माण' को स्वीकार नहीं करेंगे जो वाणिज्यिक अराजकता और गतिरोध का कारण बनेगा। इसलिए, अनुपस्थित यूनिटधारकों की ओर से मौन को न तो स्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है

न ही प्रस्ताव को अस्वीकार करना। विनियमन 18 (15) (सी), जमीनी वास्तविकता में लागू होने पर, इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह निराशाजनक हो।

वही कानून और उद्देश्य/उद्देश्य जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। हम. बल्कि एक उचित और व्यावहारिक 'निर्माण' को स्वीकार करेंगे जो विधायी उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। विनियमन 18 (15) (सी) के पीछे अंतर्निहित जोर इकाईधारकों को योजना के समापन के कारण और कारण के बारे में सूचित करना है और

उन्हें स्वीकार करने और अपनी सहमति देने या अस्वीकार करने का अवसर दें।

प्रस्ताव। यह निराश करने और समापन करने के लिए नहीं है

असंभव "।

यूनिटधारकों द्वारा किया गया निवेश इस योजना का कोष है।

जब विनियम 18 (15) (सी) में उनकी सहमति की आवश्यकता होती है, तो यूनिटधारकों को कहने से इनकार करना उनकी भूमिका और भाग लेने के अधिकार को कमजोर करता है। यह एक अप्रतिस्पर्धी स्थिति है कि यूनिटधारक इकाइयों को निवेश या भुनाने के समय सूचित विकल्प और विवेक का प्रयोग करते हैं। विनियमों में यूनिटधारकों को क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में नहीं, बल्कि समझदार निवेशकों के रूप में देखा जाता है जो समझदार और विवेकपूर्ण होते हैं। इसलिए न्यासियों को सूचित करने और पारदर्शी होने का आदेश दिया जाता है। ऊपर पैराग्राफ 11 में उल्लिखित सारांश रिपोर्ट, आवधिक और निरंतर बयान, वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आदि का उद्देश्य निवेश की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं, जोखिमों और उन कारकों को प्रकट करना है जो रिटर्न पर प्रभाव डाल सकते हैं ताकि यूनिटधारकों को विचार-विमर्श करने वाले निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके, चाहे वह खरीद हो, मोचन हो या मतदान के अधिकार का प्रयोग हो। जब संदेह होता है, तो यूनिटधारकों को विवेकपूर्ण निवेशकों के रूप में दूर रहने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन जब न्यासी उस योजना को बंद करने का फैसला करते हैं जिसमें उन्होंने निवेश किया है तो वे शांत दर्शक, लापरवाह और असहाय नहीं होते हैं। यूनिटधारकों का कद और अधिकार सह कर सकते हैं न्यासियों की विशेषज्ञता के साथ मौजूद है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि न्यासियों का उनके प्रति प्रत्ययी कर्तव्य है। इस प्रकार, यह तर्क कि न्यासी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और विशेषज्ञ हैं, उनका निर्णय होना चाहिए

न केवल विनियमन 18 (15) (सी) की विशिष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, बल्कि विनियमों के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ संक्षिप्तता में होने के लिए बाध्यकारी और उचित पूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। 36. एक काल्पनिक निवेदन कि इकाईधारक न्यासियों की एक वैध और सुविचारित राय को समाप्त करने के लिए अस्वीकार कर सकते हैं, और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

इसलिए विनियमन 18 (15) (सी) निर्देशिका है, जिसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। धारणाएँ विनियमन 18 (15) (सी) की गलत व्याख्या करने का आधार नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब न्यासी अपनी राय में गलती कर सकते हैं, जिस स्थिति में इकाईधारक उन्हें ठीक कर सकते हैं। पैसा और निवेश

37. ' विनियमन 18 (15) (सी) के उद्देश्य के लिए 'सहमति' उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश यूनिटधारकों की सहमति को संदर्भित करती है, और एक सर्वेक्षण के मामले में, गणना यूनिटधारक द्वारा आयोजित इकाइयों की संख्या के संदर्भ में होगी। वास्तव में, सुनवाई के दौरान यह था

यह स्वीकार किया कि अधिकांश यूनिटधारक भविष्य निधि न्यास या पेंशन कोष से संबंधित हैं। हमारे पहले के आदेश में संदर्भित मतदान पैटर्न दर्शाता है कि विनियमन 18 (15) (सी) के तहत मतदान संभव है और बिना किसी कठिनाई के सुचारू रूप से काम कर सकता है। इसलिए व्यक्त की गई आशंकाओं का ज्यादा महत्व नहीं है। यह स्पष्ट है कि जहां यूनिटधारक समापन के खिलाफ मतदान करते हैं, उसके परिणाम सामने आएंगे और तदनुसार

योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा। यह एक स्वाभाविक और सामान्य परिणाम है जिसे प्रभावी बनाना होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह शायद ही कभी होता है और वह भी बिना किसी वास्तविक और अच्छे के नहीं होता है।

कारण।

38. एस. ई. बी. आई. प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई. ओ. एस. सी. ओ.) का सदस्य है। आई. ओ. एस. सी. ओ. में प्रकाशित एक परामर्श रिपोर्ट में

अगस्त, 2016 में निवेश निधि की समाप्ति के लिए अच्छी प्रथाओं पर कहा गया है कि समाप्ति योजना को निवेश निधि को समाप्त करने के लिए तर्क की पहचान करनी चाहिए। समाप्ति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों की पहचान की जानी चाहिए। 'समाप्त करने का निर्णय' शीर्षक के तहत अच्छी प्रथाओं के खंड (28), (29) और (30) निम्नानुसार हैं:

" 28. अधिकांश मामलों में, समाप्त करने का निर्णय जिम्मेदार संस्था का होता है। हालांकि, कुछ क्षेत्राधिकारों में राष्ट्रीय कानून या नियामक आवश्यकताएं अनिवार्य करेंगी कि जिम्मेदार संस्था के निर्णय को निवेशकों या कुछ मामलों में संरक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाए। निवेश निधि की स्वैच्छिक समाप्ति की तैयारी में पहला कदम यह निर्धारित करना है कि निवेशक की मंजूरी है या नहीं।

आवश्यकता होती है। यह कानूनी संरचना पर निर्भर हो सकता है निवेश कोष और क्या मतदान के अधिकार शेयरों को दिए गए हैं

/ इकाइयाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. निवेश कोष में निवेश के साथ आम तौर पर कुछ मामलों पर मतदान करने का अधिकार होता है और अन्य बातों के साथ-साथ परिसमापन और समाप्ति पर निवेशकों की मंजूरी के लिए मतदान की आवश्यकताएं आम तौर पर संवैधानिक दस्तावेजों और निवेश कोष के विवरण पत्रिका/प्रस्ताव दस्तावेज में निर्धारित की जाती हैं।

और राष्ट्रीय नियामक की नियामक व्यवस्था, या दोनों। द.

समाप्ति योजना में निवेशक प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।

अनुमोदन, जहाँ आवश्यक हो।

30. जहां निवेशक अनुमोदन की आवश्यकता होती है और निवेशकों को अनुमोदन के लिए न्यूनतम मतदान आवश्यकताओं को प्राप्त करने के परिणाम के साथ समाप्त करने के निर्णय पर मतदान करने के लिए कहा जाता है, निर्णय है उन
सभी के लिए बाध्यकारी, जिनमें वे भी शामिल हैं जो मतदान नहीं करते हैं। जहाँ निवेशक

अनुमोदन की आवश्यकता है, निवेशकों के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए

समाप्ति योजना। विशेष रूप से, समाप्ति योजना में यह दस्तावेज होना चाहिए कि असंतुष्ट निवेशकों के हितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।"

आई. ओ. एस. सी. ओ. द्वारा अनुशंसित अच्छी प्रथाओं की सराहना की जाती है

39. विनियम 39 (3) के तहत नोटिसों के प्रकाशन की तारीख को और उससे, विनियम 40 का विराम और रोक प्रभाव लागू होता है। विनियम 39 के उप-विनियम (3) में उपयोग किए गए शब्द हैं 'जहां एक योजना को उप-विनियम (2) में समाप्त किया जाना है', यानी एक योजना को समाप्त किया जाना है विनियम 39 (2) के खंड (ए), (बी) या (सी) की शर्तें। विनियम 39 का उप-विनियम (3) न्यासियों को सार्वजनिक सूचना में खुलासा करने के लिए भी अनिवार्य करता है।

योजना को समाप्त करने की परिस्थितियाँ। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि जहां न्यासी किसी योजना को समाप्त करने के लिए एक राय बनाते हैं, उन्हें कारणों का खुलासा करना चाहिए, और उसके बाद, यूनिटधारक मतदान करने और सहमति देने या अस्वीकार करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। यह विनियमन 18 (15) (सी) और विनियमन 39 (2) (ए) के सामंजस्यपूर्ण पठन पर वास्तविक कानूनी प्रभाव है।

40. उप-विनियम (2) के खंड (ए) और (सी) और विनियम 39 के उप-विनियम (3) की भाषा में निम्नलिखित को शामिल करने की परिकल्पना नहीं की गई है -

विनियम 39 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के मामले में सूचनाओं के प्रकाशन तक इकाईधारक। इसलिए, जब विनियमन 39 (2) के खंड (ए) या (सी) लागू होते हैं, तो न्यासियों या एस. ई. बी. आई. द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इकाईधारकों को समाप्त करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। प्रकाशन

विनियमन 39 (3) के संदर्भ में तब भी आवश्यक है जब इकाईधारक विनियमन 39 (2) के खंड (बी) के तहत किसी योजना को समाप्त करने के लिए मतदान करते हैं।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

41. यह स्पष्ट है कि विनियम 39 (3) के तहत नोटिसों का प्रकाशन बिना किसी हस्तक्षेप के तत्काल होना चाहिए। खंड (ए) के तहत न्यासियों द्वारा समापन, के तहत यूनिटधारकों द्वारा

खंड (बी) या खंड (सी) के तहत एस. ई. बी. आई. द्वारा। देरी विनियमन 40 के संघर्ष विराम प्रभाव को रोकेगी और इसके परिणामस्वरूप इसके पीछे के हितकारी उद्देश्य और उद्देश्य को रद्द कर देगी।

42. उपरोक्त चर्चा और सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को ध्यान में रखते हुए

विनियम 39 से 42 तक, हमारा मानना है कि विनियम 18 (15) के खंड (सी) के तहत परिकल्पित यूनिटधारकों की सहमति, विनियम 39 (3) के तहत नोटिसों के प्रकाशन से पहले आवश्यक नहीं है। की सहमति

अधिसूचना के प्रकाशन और विनियम 39 (3) के तहत बंद करने के कारणों के प्रकटीकरण के बाद यूनिटधारकों की मांग की जानी चाहिए। 43. इस तरह से पढ़ें, हम विनियमन 18 (15) और विनियम 39 से 42 के खंड (सी) की व्याख्या बिना किसी गड़बड़ी के कर सकते हैं जैसा कि सुझाव दिया गया है, जबकि विनियम 40 या विनियम के कानूनी प्रभाव को विस्थापित नहीं कर सकते हैं।

18 (15) (सी)। यह व्याख्या एस. ई. बी. आई., न्यासियों और ए. एम. सी. द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका का ध्यान रखती है कि विनियमन 39 के खंड (ए) से उप-विनियमन (2) के तहत न्यासियों के निर्णय और विनियमन 39 के उप-विनियमन (3) के तहत नोटिस के प्रकाशन के बीच देरी या समय अंतराल विनियमन 40 के विराम और स्थगन प्रभाव को स्थगित कर देगा।

44. हमने विनियम 41 (1) का उल्लेख किया है और इसके लिए न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को योजना को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत करने के लिए यूनिटधारकों की बैठक बुलाने की आवश्यकता है। जहां पर

इस योजना को विनियमन 39 (2) (ए) के तहत समाप्त किया जा रहा है, उक्त प्रावधान के तहत यूनिटधारकों की बैठक आयोजित करना संभव है, जहां यदि - परिसमापन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, यूनिटधारक उपस्थित यूनिटधारकों के साधारण बहुमत से भी निर्णय ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं कि न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त योजना को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए या नहीं। कई मामलों में एक बैठक ही पर्याप्त होगी।

45. विनियमन 18 (15) की व्याख्या को पूरा करने के लिए, हमें यह दर्ज करना होगा कि खंड (ए) लागू होता है और न्यासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जब भी एस. ई. बी. आई. द्वारा हित में आवश्यक हो, यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त करें।

यूनिटहोल्डर्स। खंड (ख) में कहा गया है कि न्यासी किसी भी योजना के तीन-चौथाई यूनिटधारकों द्वारा की गई मांग पर जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी, यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त करेंगे। तदनुसार,

खंड (ए) तब लागू होगा जब भी एस. ई. बी. आई. आदेश देता है और खंड (बी) लागू होता है जब भी योजना के तीन-चौथाई यूनिटधारक मांग करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. अनुच्छेद 211 के बाद से विवादित निर्णय विशेष रूप से न्यासियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को संदर्भित करता है। म्यूचुअल फंड द्वारा प्रकाशित अतिरिक्त जानकारी के विवरण में शामिल किया गया है, जिसमें लिखा है:

" (ख) न्यासी इकाई धारकों की सहमति प्राप्त करेंगे।

योजनाएँ:

i) जब न्यासी से हित में ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई-धारकों का; या

(ii) किसी भी इकाई के तीन-चौथाई धारकों के अनुरोध पर

म्यूचुअल फंड के तहत योजनाएँ; या

iii) यदि न्यासी कंपनी के अधिकांश निदेशक योजना (योजनाओं) को बंद करने या इकाइयों को समय से पहले भुनाने का निर्णय लेते हैं।

न्यासियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से संबंधित उपरोक्त उद्धरण के खंड (iii) में न्यासियों से योजना के यूनिटधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है यदि न्यासी कंपनी के अधिकांश निदेशक योजना को बंद करने या समय से पहले इकाइयों को भुनाने का निर्णय लेते हैं।

उपरोक्त उद्धरण के खंड (iii) की भाषा विनियम 18 के उप-विनियम (15) के खंड (ग) के समान है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि न्यासियों और ए. एम. सी. ने

यह समझ लिया और स्वीकार किया कि यदि न्यासी कंपनी के अधिकांश निदेशक किसी योजना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो योजना के यूनिटधारकों की सहमति आवश्यक होगी।

47. पैराग्राफ 221 में विवादित फैसले में कहा गया है कि उप-विनियमन के अनुपालन को दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी

(3) विनियम 39 के अनुसार। न्यासियों और ए. एम. सी. ने पृष्ठ 1262 पर संलग्न 23 अप्रैल 2020 के नोटिस और पृष्ठ 3304-3313 पर संलग्न 24 अप्रैल 2020 को अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में किए गए समाचार पत्र प्रकाशनों पर भरोसा करके उक्त स्थिति पर विवाद किया है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो गंभीर रूप से विवादित नहीं थी

अधिकांश यूनिटधारकों द्वारा, हम स्वीकार करेंगे कि विनियमन 39 के उप-विनियम (3) के खंड (बी) का अनुपालन किया गया था और तदनुसार विनियमन 40 का विराम और रोक प्रभाव प्रभावी हो गया था।

48. हमारा ध्यान एस. ई. बी. आई. द्वारा 31 मई, 2016 को जारी परिपत्र की ओर आकर्षित किया गया था, जिसके अनुसार न्यासियों के पास इसे निलंबित करने का विकल्प है।

90 दिनों की अवधि में 10 दिनों की अवधि के लिए इकाइयों का मोचन। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

" बी। किसी भी 90 दिनों में 10 कार्य दिवसों से अधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए मोचन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अवधि "

एस. ई. बी. आई. ने यह रुख अपनाया है कि इस परिपत्र का लाभ तब लिया जाना चाहिए जब बंद करने का प्रश्न विचाराधीन है।इसके अलावा न्यासियों। स्थिति लोहे से ढकी नहीं होने के कारण, SEBI फिर से जांच कर सकता है

क्या न्यासियों/ए. एम. सी. को इसी तरह का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है।

समाप्त करने के सवाल पर निर्णय को समाप्त करना, जब वे सामना करते हैं

सही मोचन दबाव।

प्रतिभूतियों की संवैधानिक वैधता को चुनौती

भारतीय विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996

49. यह चुनौती एक अपीलार्थी द्वारा उठाई गई है, अर्थात् -

मृता गर्ग। अग्रेषित दलीलों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(अ)

विनियमन में अभिव्यक्ति 'किसी भी घटना का होना' 39 (2) (a) अनिर्दिष्ट है और इसके दुष्प्रभाव से पीड़ित है

अत्यधिक प्रत्यायोजन क्योंकि यह उन घटनाओं के प्रकार का कोई संकेत नहीं देता है जो योजना को समाप्त करने के लिए प्रासंगिक होंगे। यह न्यासियों को एक ऐसी योजना को समाप्त करने की बेलगाम शक्ति देता है, जो न्यासियों की राय में,

घाव होना चाहिए।

(ख)

इसकी तुलना में, विनियमन 39 (2) के खंड (सी) के अनुसार, एस. ई. बी. आई.

म्यूचुअल फंड योजना को बंद करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति के साथ केवल तभी निवेश किया गया है जब यह यूनिटधारकों के हित में हो।

इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. ने दिशानिर्देश या नीति निर्धारित/जारी नहीं की है।

((ग)

समाप्त करने के लिए न्यासियों द्वारा राय के गठन के संबंध में

योजना।

न्यासियों की राय को सर्वोपरि रखा गया है और यह है -

((घ)

सर्वोच्च। यहां तक कि एस. ई. बी. आई. भी स्वीकार करता है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है और वह न्यासियों के निर्णय की जांच और उसे दरकिनार नहीं कर सकता है। इस प्रकार, एस. ई. बी. आई., अपने स्वयं के तर्क और प्रस्तुतिकरण के अनुसार, न्यासियों की राय से बाध्य होने के कारण, तब भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब इकाईधारकों के हित में ऐसा करना आवश्यक हो या जब

न्यासियों ने अपने निहित स्वार्थ में काम किया है। यह एस. ई. बी. आई. अधिनियम की उस योजना के विपरीत है जिसके तहत एस. ई. बी. आई. का गठन मुख्य रूप से एक प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है और [2021] 5 एस. सी. आर.

पूँजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना,

जिसमें यूनिटधारक भी शामिल हैं।

(ई)

इसके खिलाफ अपील या आंतरिक चुनौती का कोई प्रावधान नहीं है।

न्यासियों का निर्णय जो किसी मामले में योजना को समाप्त करने के संबंध में गलत राय बना सकते हैं।

उपरोक्त कारणों से, विनियमन 39 (2) का खंड (ए) प्रभावित होता है।

(च)

किसी की अनुपस्थिति में स्पष्ट मनमानेपन से

न्यासियों द्वारा शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने वाला प्रिस्क्रिप्शन। तमिलनाडु राज्य पर निर्भरता रखी गई है और

एक अन्य वी। टी. कृष्णमूर्ति और अन्य; 10 शायरा

बानो वी. भारत संघ और अन्य; वरिष्ठ

डाकघरों के अधीक्षक, इलाहाबाद और अन्य

अन्य। 1 3

विनियम 39 (3) समान रूप से मैनिफेस्ट के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है।

(जी)

एस. ई. बी. आई. के रूप में मनमानी केवल एक ड्रॉप-बॉक्स के रूप में कार्य करती है। हालांकि

न्यासियों को खुलासा करते हुए नोटिस देना आवश्यक है

एस. ई. बी. आई. के लिए योजना को समाप्त करने वाली परिस्थितियाँ, यह आवश्यकता अर्थहीन और सतही है क्योंकि एस. ई. बी. आई. समाप्त करने की चरम कार्रवाई की गारंटी देने वाली घटना के अस्तित्व के रूप में संतुष्ट होने के लिए प्रश्न और परिस्थितियों में नहीं जा सकते हैं।

(ज) विनियम 41 (2) (बी) स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि इसमें कहा गया है कि खंड (ए) के तहत बिक्री आय का पहले ऐसी देनदारियों के लिए भुगतान किया जाएगा जो योजना के तहत देय और देय हैं और केवल शेष राशि का भुगतान यूनिटधारकों को योजना की परिसंपत्तियों में उनके संबंधित हितों के अनुपात में किया जाएगा, जैसा कि समापन के निर्णय की तारीख को किया गया था। विनियम 41 किसी भी तंत्र या तरीके को निर्धारित नहीं करता है जिसमें अधिकृत व्यक्ति या ए. एम. सी. योजना के तहत देय और देय देनदारियों का पता लगा सके। दूसरा, यूनिटधारकों को योजना के लेनदारों के नीचे रखा गया है और इसलिए

3 (2018) 7 एस. सी. सी. 656 फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

केवल बचा हुआ प्राप्त करें। यह यूनिटधारकों के सर्वोच्च स्थान और स्थिति को कमजोर करता है। इसके अलावा, एस. ई. बी. आई.

उन यूनिटधारकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे जो न केवल वित्तीय लेनदार हैं, बल्कि जैसा कि स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है

विनियमन 18 (12), उनका पैसा ट्रस्ट में म्यूचुअल फंड में और उनके लाभ के लिए रखा जाता है। रिलायंस को पायनियर पर रखा गया है

अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य v. भारत संघ और अन्य 1 4 जहाँ घर खरीदारों के पास है

भारतीय के तहत वित्तीय लेनदार होने के लिए आयोजित किया गया

दिवालियापन संहिता। परी पासू के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। नियम 42 भी स्पष्ट रूप से मनमाना है जैसा कि एस. ई. बी. आई.

((i)

केवल मंत्रिस्तरीय कार्य करें, उससे बहुत कम एक नियामक के कार्य। स्पष्ट रूप से, समापन प्रक्रिया के दौरान, एस. ई. बी. आई. को एक न्यूनतम भूमिका दी गई है जो

यह अधिनियम के सर्वोपरि उद्देश्य के विपरीत है।

50. हम एस. ई. बी. आई. के प्रावधानों का उल्लेख करके शुरुआत करेंगे।

अधिनियम बनाकर और एस. ई. बी. आई. की शक्तियों को स्पष्ट करके। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11

एस. ई. बी. आई. के कार्य निर्धारित करता है। उप-धारा (1), सामान्य शब्दों में, बताती है कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना एस. ई. बी. आई. का कर्तव्य होगा।

प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना। एस. ई. बी. आई. को इस संबंध में उचित कदम उठाने का अधिकार है। उप-धारा (2), की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

उप-धारा (1) में 17 विशिष्ट खंडों को सूचीबद्ध किया गया है और कहा गया है कि एस. ई. बी. आई. उन खंडों से संबंधित उपायों के लिए प्रावधान करने का हकदार है।

और ऐसे अन्य मध्यस्थ जो किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े हो सकते हैं और SEBI को म्यूचुअल फंडों से जानकारी लेने, निरीक्षण करने, पूछताछ करने और ऑडिट करने की अनुमति देते हैं। और प्रतिभूति बाजार से जुड़े अन्य व्यक्ति, मध्यस्थ और स्व-नियामक संगठन। वे किसी भी व्यक्ति से रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं, जिसमें कोई भी बैंक, कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम शामिल है, जिसे केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किया गया है, जो एस. ई. बी. आई. द्वारा जांच या जांच के लिए प्रासंगिक है। यह कॉल करने के लिए भी अधिकृत है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा आवश्यक। खंड (एम) एक अवशिष्ट खंड है जिसमें कहा गया है कि एस. ई. बी. आई. ऐसे अन्य कार्य कर सकता है जो निर्धारित किया जाए। धारा 11 की उप-धारा (2ए) एक अबाधित प्रावधान है जो एस. ई. बी. आई. को किसी भी धारा का निरीक्षण करने के लिए उपाय करने के लिए अधिकृत करता है।

किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी, आदि की पुस्तक या रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या रिकॉर्ड जो अपनी प्रतिभूतियों को एक पर सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। उप-धारा (3), फिर से, एक अबाधित प्रावधान है और कहता है कि एस. ई. बी. आई. उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो हैं

अन्य दस्तावेज, व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उनकी जांच करना, धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की किसी भी पुस्तक, रजिस्टर और दस्तावेजों का निरीक्षण, किसी भी पुस्तक, या रजिस्टर, या दस्तावेज़, या किसी कंपनी के रिकॉर्ड का निरीक्षण, और उनके लिए कमीशन जारी करना। गवाहों या दस्तावेजों की जांच। उप-धारा (4) में कहा गया है कि उप-धारा (1), (2), (2ए) और (3) और धारा 11बी में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एस. ई. बी. आई. निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में लिखित आदेश द्वारा निर्धारित उपाय कर सकता है।

जाँच या जाँच। इनमें किसी भी प्रतिभूति के व्यापार का निलंबन; किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा बाजारों तक पहुंचने से रोकना; शर्तों के अधीन 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए और आगे के लिए संलग्न करना शामिल है। विशेष अदालत, बैंक खातों और किसी भी मध्यस्थ या किसी भी व्यक्ति की अन्य संपत्तियों द्वारा पुष्टि के अधीन 90 दिनों से अधिक की अवधि

प्रतिभूति बाजार से किसी भी तरह से संबद्ध होना, जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

इसके तहत प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी मध्यस्थ को किसी भी तरह से जांच के तहत किसी भी लेनदेन का हिस्सा बनने वाली किसी भी संपत्ति का निपटान या अलगाव नहीं करने का निर्देश इस शर्त के अधीन है कि ऐसे आदेश पारित करने से पहले या बाद में ऐसे मध्यस्थों या संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उप-धारा (4ए) एस. ई. बी. आई. को उप-धारा (1), (2), (2ए), (3) और (4), धारा 11बी और धारा 15-1 के प्रावधानों के बावजूद एक आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 15ए, 15बी आदि के तहत जुर्माना। उप-धारा (5) के तहत, अधिनियम की धारा 11बी के तहत जारी निर्देशों के अनुसार अलग की गई राशि

या प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 आदि के 12ए को ए. एन. के. एल. आई. एन. टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज पी. वी. टी. द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में जमा किया जाना है।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपयोग किया जाना

. सीटी।

51. अधिनियम की धारा 11 बी निम्नानुसार है:

" निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने की शक्ति। - (1) के रूप में सहेजें धारा 11 में अन्यथा प्रावधान किया गया है, यदि जांच करने या कराने के बाद बोर्ड का समाधान हो जाता है कि यह आवश्यक है।

(i) निवेशकों के हित में, या प्रतिभूतियों का व्यवस्थित विकास।

बाजार; या

((ii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के कार्यों को हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए।

निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए; या

((ग) ऐसे किसी भी मध्यस्थ का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

या व्यक्ति,

यह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है -

(क) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए,

या प्रतिभूति बाजार से संबद्ध; या

(ख) धारा में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी भी कंपनी को

11 ए,

जो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित में उचित हो।

और प्रतिभूति बाजार।

(2) धारा 11 की उप-धारा (1), उप-धारा (4ए) और धारा 15-1 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड एक आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद धारा 15ए, 15बी, 15सी, 15डी, 15ई, 15ईए, 15एफ, 15जी, 15एच, 15एचए और 15एचबी के तहत जुर्माना लगा सकता है। स्पष्टीकरण। सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी भी व्यक्ति को निर्देश देने की शक्ति शामिल होगी और हमेशा ऐसा माना जाएगा,

जिसने इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी लेनदेन या गतिविधि में लिप्त होकर लाभ या हानि को टाला हो।

किसी राशि को अलग करने के लिए उसके तहत बनाए गए अधिनियम या विनियम

इस प्रकार किए गए गलत लाभ या हानि के समतुल्य

उल्लंघन। "[2021] 5 एस. सी. आर.

52. जैसा कि धारा 11 बी के शीर्षक में कहा गया है, प्रावधान एस. ई. बी. आई. को निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। यह निर्धारित करता है कि ऐसी शक्तियाँ इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कोई जांच करने या करने के बाद एस. ई. बी. आई. का समाधान हो कि यह आवश्यक है-(i) निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए, (ii) किसी भी मामले को रोकने के लिए।

आदि। 53. प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

" 291. एक अन्य प्रश्न एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 बी के तहत एस. ई. बी. आई. की शक्तियों के बारे में है। हम पहले ही मान चुके हैं कि धारा 11 बी (1) के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति का उपयोग एएमसी और न्यासियों को निर्देश जारी करने के लिए किया जा सकता है। उक्त दिशा हो सकती है

जारी किया जाता है जब एस. ई. बी. आई., जांच करने या करने के बाद, संतुष्ट होता है कि (ए) निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए निर्देश जारी करना आवश्यक है; (बी) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के मामलों को ए. एन. के. एल. आई. एन. टेम्प्लेटन ट्रस्टी सेवाओं पी. वी. टी. के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

प्रतिभूति बाजार के निवेशकों के हित; या (ग) ऐसे किसी मध्यस्थ या व्यक्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना। पहला सवाल यह है कि क्या एस. ई. बी. आई. के पास विनियमन 39 (2) (ए) के तहत न्यासियों द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने की शक्ति है। यदि एस. ई. बी. आई. को न्यासियों के ऐसे निर्णय की शुद्धता या वैधता का परीक्षण करना है,

एक निर्णय की आवश्यकता है। न्यासियों और ए. एम. जी. को करना होगा

न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में सुना जाए। धारा 11 बी में ऐसा नहीं है

ऐसे किसी भी निर्णय पर विचार करें। यदि एक इकाई जिसे एक दिशा

धारा 11 बी के तहत जारी किया गया है कि वह इसका कोई भी उल्लंघन करता है।

जुर्माना लगाने से पहले, धारा 15-I द्वारा विचार किए गए निर्णय की आवश्यकता होती है। एस. ई. बी. आई. में कोई प्रावधान नहीं है धारा के तहत प्रस्तावित निर्देश की सूचना जारी करने के लिए अधिनियम

11 ख और निर्देश जारी करने से पहले न्यासियों या ए. एम. सी. को सुनना।

निर्देश जारी करने से पहले किसी निर्णय पर विचार नहीं किया जाता है।

इसलिए, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ताओं, ए. एम. सी. के साथ-साथ न्यासियों के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि धारा 11 बी के तहत शक्ति का प्रयोग करके, एस. ई. बी. आई. के पास इस पर निर्णय लेने की शक्ति है -

न्यासियों द्वारा एक को समाप्त करने के लिए लिए गए निर्णय की शुद्धता

म्यूचुअल फंड के विशिष्ट प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं विनियम, निर्देश जारी करने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है

एस. बी. आई. चित्रण के माध्यम से, हम काल्पनिक मामलों का उल्लेख करते हैं। इसके बाद

विनियमन 39 (2) (ए) के प्रावधानों को लागू करते हुए, यदि न्यासी विनियमन 40 का सहारा लिए बिना इकाइयों को मुक्त करना बंद कर देते हैं। विनियमन 39 के खंड (3) के उपखंड (ए) और (बी) की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए, एस. ई. बी. आई. हमेशा एक

धारा 11 बी के तहत मोचन को नहीं रोकने का निर्देश, जब तक कि

अनुपालन विनियमन 39 के खंड (3) के साथ किया जाता है। अगर मिल जाए तो

कि न्यासी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखें

विनियमन 39 के खंड (3) के तहत कार्रवाई किए जाने के बाद भी, धारा 11-बी के तहत एक निर्देश SEBI द्वारा जारी किया जा सकता है -

सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दें।

54. सरल एन के लिए उक्त टिप्पणियों पर हमें आपत्ति है कि यदि विनियमों का उल्लंघन होता है, तो खंड (ए) से

न्यासियों या ए. एम. सी. द्वारा धारा 39 (2), 39 (3), 40,41 या 42, कानून के अनुसार और धारा के संदर्भ में आगे बढ़ना एस. ई. बी. आई. का दायित्व है।अधिनियम का घ 11 ख। इसलिए यह कहना गलत होगा कि विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत न्यासियों का दायित्व [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

विनियम 39 (2) के खंड (ए) के कोने। यदि न्यासियों ने बाहरी और अप्रासंगिक कारणों और विचारों के लिए कार्य किया है, तो कार्रवाई विनियमन 39 (2) के खंड (ए) का उल्लंघन होगी और इसलिए धारा 11 बी के तहत निर्देशों सहित एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी। 55. हमने जो विचार रखा है, वह अलका सिंथेटिक्स एंड ट्रेडिंग बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के अनुरूप है।

एस. ई. बी. आई., 1 5 जिसमें यह देखा गया था कि धारा 11 बी के तहत शक्ति किसी निश्चित कार्य को करने या किसी निश्चित कार्य को करने से रोकने के लिए प्रावधान में निर्दिष्ट व्यक्तियों को आदेश जारी करने की प्रकृति में है, यदि किसी जांच के परिणामस्वरूप, एस. ई. बी. आई. खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऐसा निर्देश जारी करने की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है। गुजरात उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, सही टिप्पणी की कि जबकि धारा 11 में कार्य करता है नीति के रूप में सामान्य विनियामक उपायों को निर्धारित करने के क्षेत्र में, धारा 11बी निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में एक निर्दिष्ट आचार संहिता निर्धारित करने के क्षेत्र में कार्य करती है। जिस पर

निर्णयात्मक सुनवाई। इसी तरह का विचार बाद में निखिल टी. पारिख बनाम में व्यक्त किया गया था। भारत संघ ", जिसमें उसी उच्च न्यायालय का विचार था कि धारा 11 बी, एक सक्षम प्रावधान होने के नाते, इस तरह से समझा जाना चाहिए कि उस उद्देश्य को पूरा किया जाए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है। चूंकि 'उपाय' शब्द को एस. ई. बी. आई. अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने इसका एक अर्थ दिया है। सामान्य भाषा में विहित, किसी उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से वांछित या की गई किसी भी चीज़ को शामिल करने के रूप में, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक योजना या कार्य-क्रम, किसी भी प्रस्तावित कार्य-क्रम या

एक सरकार द्वारा अपनाया गया। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण v. SEBI, 17 1 7 ने एक विस्तृत व्याख्या दी है।

16 (2014) 2 जीएलएच 582 17 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. ए. टी. 28.

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 और धारा 11 बी के लिए, यह देखते हुए कि वे देते हैं

एस. ई. बी. आई. को भारी अधिकार। जब तक धारा 11 बी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति एस. ई. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है और कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर है, जिसका उद्देश्य इसके उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम और धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अधीन करते हुए, शक्ति बनी रहेगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसे एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक संपूर्ण प्रावधान कहा। 56. न्यासी और ए. एम. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी लिखित दलीलों में एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों की व्याख्या की

स्वीकार किया था कि एस. ई. बी. आई. के पास इस संबंध में व्यापक शक्तियाँ हैं

म्यूचुअल फंड की किसी योजना को बंद करने के न्यासी के निर्णय सहित म्यूचुअल फंड का विनियमन। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) में कहा गया है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और विनियमित करना एस. ई. बी. आई. का कर्तव्य है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 बी के तहत, एस. ई. बी. आई. के पास उचित निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां हैं यदि जांच के बाद यह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे निर्देश निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए या किसी भी मध्यस्थ के मामलों को निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए या उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति का प्रबंधन। एस. ई. बी. आई. की शक्ति म्यूचुअल फंड, न्यासियों और ए. एम. सी. द्वारा लिए गए कार्यों और निर्णयों को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने तक फैली हुई है। यदि एस. ई. बी. आई. इकाईधारकों के हित में उचित समझता है तो उसके पास कोई भी निर्देश पारित करने की शक्ति है। न्यासियों और ए. एम. सी. ने विशेष रूप से कहा है:

" उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एस. ई. बी. आई. के पास म्यूचुअल फंड के मामलों के संबंध में विनियमन, पर्यवेक्षण, निर्देश जारी करने और निरीक्षण और जांच करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड विनियमों के विनियमन 39 (2) (ए) के तहत म्यूचुअल फंड योजना को बंद करने के न्यासी के निर्णय के संबंध में भी शामिल है, जिसमें म्यूचुअल फंड को बंद करने से रोकना भी शामिल है।

यदि आवश्यक समझा जाए तो म्यूचुअल फंड योजना। एस. ई. बी. आई. की ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 डी द्वारा और मजबूत किया गया है, जो एस. ई. बी. आई. को एक आदेश पारित करने का अधिकार देता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसने किसी भी आदेश का उल्लंघन किया है या जिसका उल्लंघन करने की संभावना है।

इस अधिनियम के प्रावधान, या बनाए गए किसी भी नियम या विनियम

इसके तहत इस तरह का उल्लंघन करने से 'रोकना और बचना'। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्या एस. ई. बी. आई. इस [2021] 5 एस. सी. आर. का प्रयोग करने का विकल्प चुनेगा।

शक्ति एक ऐसा मामला है, जिसे एस. ई. बी. आई. अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है।

और ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि क्यों एस. ई. बी. आई. विनियमन के तहत एक न्यासी द्वारा समापन निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा। 39 (2) (क) अपने शपथ पत्र में एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत कारणों को शामिल करना।

जैसे कि यह तथ्य कि म्यूचुअल फंड योजना को बंद करने के निर्णय को उलटने से योजना पर असर पड़ने के साथ-साथ बाजार में गंभीर संक्रमण भी हो सकता है (पी. जी. पर पैरा 18,19 का संदर्भ दिया गया है। 6 और दिल्ली उत्तर के 7; पारस 34 और 35 पेज पर। 11 और गुजरात उत्तर के 12; और पारस 11 और 12 पृष्ठों पर। 5 और मद्रास उत्तर का 6); हालाँकि, समग्र रूप से एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों की योजना को पढ़ने पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्पष्ट है कि ऐसी शक्ति मौजूद है।

57. तथापि, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि विनियम धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम जो उन्हें एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बनाए रखना और म्यूचुअल फंड सहित पूंजी बाजार को विनियमित करना है। इस आदेश के पहले भाग में, हमने उन विनियमों का विस्तार से उल्लेख किया है जो इस प्रकार प्रायोजक, ए. एम. सी. और न्यासियों की तीन स्तरीय प्रणाली बनाते हैं। न्यासियों और ए. एम. सी. की गतिविधियों को विनियमित करने वाली शर्तें हैं जिनकी शक्तियों, दायित्वों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। म्यूचुअल फंड को विनियमित करने की शक्ति, एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, म्यूचुअल फंड की योजना को समाप्त करने के लिए नियम बनाने की शक्ति शामिल होगी। इस संबंध में कोई विनियमन तैयार नहीं करना एस. ई. बी. आई. की ओर से कर्तव्य की अवहेलना होगी और इसे प्रतिकूल टिप्पणियों के अधीन किया जाएगा।

58. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत न्यासियों को किसी योजना को समाप्त करने के लिए पूर्ण और बेलगाम शक्ति दी गई है। विनियम 39 (2) के खंड (ए) की भाषा में कहा गया है कि न्यासियों को किसी भी घटना के घटित होने पर एक राय बनानी चाहिए जो योजना को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विनियमन 39 (3) के अनुसार, न्यासी उन परिस्थितियों का खुलासा करते हुए नोटिस देने के लिए बाध्य हैं जिनसे योजना को समाप्त किया जा सकता है। कारणों के साथ इन सूचनाओं को एस. ई. बी. आई. को सूचित किया जाना चाहिए और पूरे भारत में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों और उस स्थान पर प्रसारित होने वाले एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा यूनिटधारकों को सूचित किया जाना चाहिए जहां म्यूचुअल फंड का गठन

किया गया है। इसलिए न्यासियों को फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज पी. वी. टी. में आना आवश्यक है।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

एक निष्कर्ष कि लिखित रूप में व्यक्त विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, योजना को समाप्त करने की आवश्यकता है। न्यासियों में से दो-तिहाई स्वतंत्र व्यक्ति हैं जो प्रायोजक से जुड़े नहीं हैं, 1 8 और नहीं

19

ए. एम. सी. के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। न्यासी निवेशकों की ओर से योजना की परिसंपत्तियों को प्रत्ययी क्षमता में रखते हैं। वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इसलिए, उन्हें विनियमन 39 (2) (ए) के तहत यह तय करने की शक्ति प्रदान की गई है कि कोई योजना है या नहीं। घाव होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान सहित कानून में उपयोग किए गए शब्दों को उस विशेष कानून के आलोक में समझा जाना चाहिए न कि अलग से। विधिवत अधिनियमित कानून को केवल अस्पष्टता के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसी अस्पष्टता क्षेत्र में नहीं आती है।

मनमानेपन का (निशा प्रिया भाटिया बनाम देखें। भारत संघ और अन्य 2 0)। वर्तमान मामले के संदर्भ में, 'किसी भी घटना की घटना' अभिव्यक्ति को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि 'योजना को समाप्त करने की आवश्यकता है' शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए अभिव्यक्ति 'कोई भी घटना' उक्त आवश्यकता के साथ योग्य है। इस तरह से पढ़ें,

ऐसी कोई अस्पष्टता नहीं है जिसे मनमानेपन के दायरे से परे के रूप में वर्णित किया जा सके, दूसरी ओर, पूर्व-आवश्यक वैधानिक जनादेश स्पष्ट है। यह अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला नहीं है जिसमें विधायी कार्य को त्याग दिया गया है और न्यासियों को सौंप दिया गया है जो अपनी सनक और इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आवश्यक विधायी कार्य विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के नियम के रूप में इसका निर्माण है। वाणिज्यिक मामलों में अलग-अलग और अलग-अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो समाप्त होने का कारण बन सकती हैं। व्यापार और वाणिज्य के मामलों में जटिलताएं आश्चर्यजनक रूप से जटिल हो सकती हैं और तात्कालिकता और कठिनाइयों से भरी हो सकती हैं। इसलिए, लचीलेपन की आवश्यकता है। अन्यथा, न्यासी पहले एस. ई. बी. आई. की मंजूरी लेने के लिए मजबूर होंगे, जिसके अपने परिणाम हो सकते हैं।

59. दिनांक 30 जून, 2019 का अतिरिक्त सूचना का विवरण

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड द्वारा जारी, शीर्षक VI-योजना की अवधि और समापन 'के तहत, एक सामान्य संकेत प्रदान करता है कि विनियमों के तहत किसी योजना को कब समाप्त किया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" VI. योजना की अवधि और विंडिंग अप

XX

18 विनियम 16 (5)

19 विनियम 16 (3)

20 (2020) 13 एससीसी 56 [2021] 5 एस. सी. आर.

हालाँकि, एस. ई. बी. आई. विनियमों के संदर्भ में, योजना हो सकती है -

घाव हो जाए अगर:

आई. पूंजी बाजार, राजकोषीय कानून या कानूनी व्यवस्था में बदलाव होते हैं।

प्रणाली, या घटनाओं की कोई घटना या श्रृंखला होती है, जिसमें

न्यासी की राय, योजना को समाप्त करने की अपेक्षा करती है; या

XX

XX

XX

99

60. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि

इसलिए, विनियमन 39 (2) के खंड (ए) के तहत न्यासियों को विनियमन 18 (15) (सी) के अधिदेश के संदर्भ में यूनिटधारकों द्वारा सहमति दी जानी चाहिए। इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, तर्क चुनौतीपूर्ण है विनियमों की संवैधानिक वैधता इस आधार पर है कि वे न्यासियों को बेलगाम और पूर्ण शक्ति देते हैं, जिससे इसकी बहुत अधिक ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए, कोष को समाप्त करने पर निर्णय लेने के लिए न्यासियों की शक्ति पर विनियमों में ही पर्याप्त मार्गदर्शन और सुरक्षा उपाय हैं।

61. हमारी राय में, विनियम उचित रूप से अंतर करते हैं।

लेनदारों और यूनिटधारकों के बीच। इकाई धारक वे निवेशक होते हैं जो जोखिम उठाते हैं और इसलिए, लाभ और लाभ के हकदार होते हैं। परिकलित जोखिम लेने के बाद, उन्हें नुकसान भी उठाना चाहिए, यदि कोई हो। यूनिटधारक निश्चित वापसी या मूल राशि के संरक्षण के भी हकदार नहीं हैं (विनियम 38 और 38ए देखें)। 21 21 दूसरी ओर, लेनदार पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंधों के अनुसार निश्चित वापसी के हकदार हैं। उनकी वापसी की दर है ब्याज की प्रकृति में और लाभ या हानि में नहीं। लेनदार जोखिम में नहीं हैं।

21 गारंटीकृत वापसी 38. किसी योजना में कोई गारंटीकृत वापसी प्रदान नहीं की जाएगी-(ए) जब तक कि इस तरह के रिटर्न की प्रायोजक या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा पूरी तरह से गारंटी नहीं दी जाती है।

(बी) जब तक कि प्रस्ताव दस्तावेज़ में उस व्यक्ति के नाम का संकेत देने वाला बयान नहीं दिया जाता है जो वापसी की गारंटी देगा; (ग) जिस तरीके से गारंटी को पूरा किया जाना है, वह प्रस्ताव दस्तावेज़ में बताया गया है। पूँजी संरक्षण उन्मुख योजनाएं

38ए. एक पूंजी संरक्षण उन्मुख योजना शुरू की जा सकती है, जो निम्नलिखित के अधीन है: (क) योजना की इकाइयों का मूल्यांकन एक पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा उसमें निवेश की गई पूंजी की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो संरचना की क्षमता के दृष्टिकोण से किया जाता है;

(ख) योजना समाप्त होने के करीब है; और (ग) ऐसी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन है जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

लेने वाले जैसा कि यूनिटधारकों के मामले में होता है। इस मायने में, यूनिटधारक कुछ हद तक कंपनी के शेयरधारकों के बराबर होते हैं। कंपनी अधिनियम, या भारतीय दिवालियापन संहिता के तहत झरना तंत्र, शेयरधारकों पर लेनदारों के बकाया को प्राथमिकता देता है। यूनिटधारकों की स्थिति समान है। वास्तव में, यह तर्क कि यूनिटधारकों के साथ लेनदारों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, गलत है। इसी तरह, यह तर्क कि यूनिटधारकों को भारतीय दिवालियापन संहिता के तहत घर खरीदारों के रूप में समान रूप से रखा गया है, उतना ही कमजोर और कमजोर तर्क है। घर खरीदार बिल्डर को पैसे देते हैं और अचल संपत्ति की खरीद के लिए अनुबंध करते हैं। घर खरीदार म्यूचुअल फंड में निवेशकों की तरह लाभ या हानि में जोखिम या भागीदार नहीं होते हैं। दिवालियापन संहिता के तहत घर खरीदारों को तब तक लेनदारों के रूप में माना जाता है जब तक कि अचल संपत्ति में स्वामित्व अधिकार उन्हें हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं, लेकिन वे जोखिम नहीं लेते हैं और लाभ या नुकसान का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं, जैसा कि यूनिटधारकों द्वारा लिया जाता है जो म्यूचुअल फंड में बिना किसी गारंटी के निवेश करते हैं और जानते हैं कि मूलधन सहित निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। यूनिटधारकों की तुलना लेनदारों या घर खरीदारों के साथ करना अनुचित और असंगत होगा।

62. देनदारियों के संदर्भ में 'देय और देय' अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। 'देय और देय' शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए

उस संदर्भ का संदर्भ जिसमें शब्द दिखाई देते हैं। 22 इस संदर्भ में प्रश्न वे वर्तमान देनदारियों को संदर्भित करते हैं जो व्यावहारिक या भविष्य में हो सकते हैं। एक मौजूदा दायित्व होना चाहिए, हालांकि नियुक्त

हो सकता है कि भुगतान की तारीख न आई हो। ' इस संदर्भ में 'देय' का अर्थ है भुगतान करने में सक्षम, भुगतान के लिए उपयुक्त और कानूनी रूप से लागू करने योग्य। यह उन अस्थिरताओं को बाहर कर देगा जो समय से प्रतिबंधित हैं या जो तथ्यों या कानून में देय नहीं हैं। 23 किसी भी विवाद के मामले में यह पता लगाने के लिए एक संक्षिप्त लेकिन गहन जांच की जा सकती है कि क्या देयता देय और देय है। 24 जाहिर है, जो देनदारियां देय और देय नहीं हैं, उन्हें तरजीही उपचार नहीं मिलेगा, जिससे यूनिटधारकों को देय राशि कम हो जाएगी।

63. चूंकि ये विनियम आर्थिक विनियमों की प्रकृति के हैं, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हम संयम बरतेंगे

जब तक कि स्पष्ट आधार हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते। हम विशेषज्ञों के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे क्योंकि यह बाजार को गंभीर खतरे में डाल सकता है और अनपेक्षित जटिलताओं का कारण बन सकता है। नीतिगत निर्णय केवल कर सकते हैं

22 बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी 633।

23 भारत संघ बनाम। रमन आयरन फाउंड्री, (1974) 2 एस. सी. सी. 231 24 विनियम नागरिक उपचार पर रोक नहीं लगाते हैं।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या कानूनी सीमाओं से परे शक्ति के प्रयोग के अलावा दुर्भावना, अनुचितता, मनमानेपन और अन्याय के आधार पर दोषी ठहराया जाएगा। प्रकट मनमानेपन के सिद्धांत के लिए प्रत्यायोजित विधान के रूप में अभ्यास में कुछ करने की आवश्यकता होती है जो मनमौजी, तर्कहीन या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना हो। प्रत्यायोजित कानून जो निषेधात्मक रूप से अत्यधिक या असमान हैं, वे भी स्पष्ट रूप से मनमाने हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा दी गई व्याख्या और ऊपर की चर्चा, चुनौती के तहत विनियम स्पष्ट मनमानेपन के दुष्प्रभाव से पीड़ित नहीं हैं।

64. हालाँकि, अब हमें एक धूसर क्षेत्र का उल्लेख करना चाहिए, जिसे हम इस स्तर पर तब तक तय नहीं करना चाहेंगे जब तक कि हमारे पास पूर्ण तथ्य और निर्णय न हो। न्यायनिर्णयन कार्यवाही। यह मुद्दा विनियमन 53 की व्याख्या से संबंधित है, जिसमें कहा गया है:

" 53. प्रत्येक म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी,

(क) 189 [30] के भीतर लाभांश वारंट यूनिटधारकों को भेजें।

लाभांश की घोषणा के दिन;

(ख) 10 के भीतर मोचन या पुनर्खरीद आय भेजें।

मोचन या पुनर्खरीद की तारीख से कार्य दिवस;

(ग) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर मोचन या पुनर्खरीद आय को भेजने में विफलता की स्थिति में, परिसंपत्ति

प्रबंधन कंपनी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी एस. ई. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली दर पर इकाईधारक

इस तरह की देरी की अवधि;

(घ) उपखंड (ग) के तहत इकाई-धारकों को ऐसे ब्याज के भुगतान के बावजूद, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी -

मोचन भेजने में विफलता के लिए दंड के लिए उत्तरदायी या निर्धारित समय के भीतर आय को पुनर्खरीद करें।

विनियमन 53 के खंड (बी) के लिए आवश्यक है कि ए. एम. सी. 10 कार्य दिवसों के भीतर मोचन या पुनर्खरीद राशि भेजेगा। मोचन या पुनर्खरीद की तिथि। विनियमन 40, जैसा कि ऊपर देखा गया है, में कहा गया है कि विनियमन 39 (3) (बी) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख को या उससे, ए. एम. सी. के न्यासी, जैसा भी मामला हो, रद्द करना या रद्द करना बंद कर देंगे।

योजना की इकाइयाँ बनाना; योजना की इकाइयाँ जारी करना या भुनाना बंद करना; और इस तरह से समाप्त योजना के संबंध में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करना बंद कर देना।

65. अतः प्रश्नगत मुद्दा यह उठेगा कि क्या ए. एम. सी. या न्यासी मोचन या पुनर्खरीद का सम्मान करने और भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन ट्रस्टी सर्विसेज पी. वी. टी. नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले प्राप्त अनुरोधों के लिए आय।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

विनियम 39 (3) के संदर्भ में। खंड में 'व्यवसाय' शब्द की व्याख्या करना

(क) विनियमन 40 की, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि यह अभिव्यक्ति व्यावसायिक गतिविधि को संदर्भित करती है और इसलिए, इसमें यूनिटधारकों को मोचन आय का भुगतान शामिल होगा, जिसमें शामिल होंगे:

प्रकाशन की तारीख से पहले प्राप्त मोचन के लिए अनुरोध

विनियम 59 (3)। उच्च न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 228. जहां तक विनियमन 39 के खंड (3) के अनुपालन से पहले प्राप्त मोचन अनुरोधों का संबंध है, ए. एम. सी. और न्यासियों का तर्क था कि विनियमन 53 के खंड (डी) को देखते हुए, मोचन या पुनर्खरीद आय को प्रेषित करने की आवश्यकता है।

मोचन की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर समाप्त करने के निर्णय के बावजूद। जैसा कि पहले कहा गया है, मोचन आय का प्रेषण या मोचन आय का पुनर्भुगतान भी एक योजना की व्यावसायिक गतिविधि का एक हिस्सा है जो

एक बार विनियमन 40 लागू होने के बाद यह पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। इसलिए, यह तर्क कि इकाई-धारकों द्वारा 23 अप्रैल, 2020 को किए गए मोचन अनुरोधों को इसके बाद भी सम्मानित किया जाना आवश्यक था

विनियमन 40 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब विनियमन 39 के खंड (3) का अनुपालन हो जाता है, तो अनिवार्य

विनियम 40 के प्रावधान तुरंत लागू होते हैं। वहाँ कोई नहीं है

विनियम 40 में किसी भी खंड के लिए बनाया गया अपवाद। यह स्पष्ट है कि छुटकारे को भेजने में ऐसी विफलता या

विनियमन 40 के प्रावधान की प्रयोज्यता के कारण पुनर्खरीद आय को विनियमन 53 के उपखंड (सी) के अर्थ के भीतर विफलता नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, परिणाम जैसे कि

के खंड (ग) में उपबंधित ब्याज और जुर्माने का भुगतान

नियम 53 का पालन नहीं हो सकता है।

66. ए. एम. सी. द्वारा मोचन के लिए भुगतान करने के लिए उधार आदि के पहलू पर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

" 225. लेकिन, म्यूचुअल फंड विनियमों की योजना के संदर्भ में, इस न्यायालय को 'व्यावसायिक गतिविधियों' के अर्थ पर विचार करना होगा। जैसा कि हमारी चर्चा के पहले भाग में कहा गया है,

ए. एम. सी. द्वारा न्यासियों की मंजूरी से एक योजना शुरू की जाती है। योजनाओं की विभिन्न श्रेणियां हैं जिनमें जनता के सदस्यों द्वारा निवेश किया जाता है। विनियमन 43 के प्रावधानों के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इकाई-धारकों और निवेशकों से प्राप्त धन का ए. एम. सी. द्वारा विनियमन 43 के अनुसार सख्ती से निवेश किया जाना आवश्यक है। निवेश [2021] 5 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट निवेश प्रतिबंधों के अधीन किया जाना है।

सातवीं अनुसूची। जहां तक ऋणों का संबंध है, विनियमन 44 के खंड (2) में प्रावधान है कि म्यूचुअल फंड पुनर्खरीद, इकाइयों के मोचन या इकाई-धारकों को ब्याज या लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से म्यूचुअल फंड की अस्थायी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा उधार नहीं लेगा। विनियमन 44 के खंड (2) के परंतुक में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पारस्परिक निधि

योजना की शुद्ध परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत (20 प्रतिशत) से अधिक उधार लें और इस तरह के उधार की अवधि छह महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार, संक्षेप में, म्यूचुअल फंड के व्यवसाय में (i) योजनाएं शुरू करना, (ii) इकाई-धारकों/निवेशकों से निवेश प्राप्त करना, (iii) इकाई-धारकों/निवेशकों से इस प्रकार एकत्र किए गए धन का निवेश करना शामिल है।

विनियमन 43 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के साथ और (iv) इकाई-धारकों/निवेशकों को विभिन्न तरीकों से रिटर्न का भुगतान करना। रिटर्न योजना की प्रकृति के आधार पर इकाइयों की पुनर्खरीद, इकाइयों का मोचन, इकाई-धारकों को ब्याज या लाभांश का भुगतान, जैसा भी मामला हो, के रूप में हो सकता है। बनाना।

इस तरह के रिटर्न निश्चित रूप से एक योजना की व्यावसायिक गतिविधि है। इसके अनुसार किए गए निवेशों से उत्पन्न आय

विनियमन 43, ए. एम. सी. द्वारा भी निवेश किया जा सकता है। खंड (3) विनियम 44 में प्रावधान है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, एक पारस्परिक निधि किसी भी उद्देश्य के लिए कोई ऋण अग्रिम नहीं करेगी। हालांकि, विनियमन 44 के खंड (4) में प्रावधान है कि एक पारस्परिक निधि अल्पविक्रय और प्रतिभूतियों के ऋण और ऋण से संबंधित ढांचे के अनुसार प्रतिभूतियों को उधार दे सकती है और उधार ले सकती है।

एस. बी. आई. म्यूचुअल फंड विनियमों के प्रावधानों का उद्देश्य म्यूचुअल फंड की गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके और इकाई-धारकों के हितों की रक्षा की जा सके। कराधान कानून के मामले में, लागू व्याख्या के नियम प्रदान करते हैं कि

यदि दो व्याख्याएँ संभव हैं, तो निर्धारिती के पक्ष में एक को प्राथमिकता देनी होगी। म्यूचुअल फंड विनियमों के मामले में, एक निर्माण को अपनाने की आवश्यकता है जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करेगा।

226. यहां यह ध्यान देना उचित है कि विनियमन 40 के खंड (ए) में "योजना के संबंध में व्यावसायिक गतिविधियाँ" शब्दों का उपयोग किया गया है, न कि केवल योजना का व्यवसाय। जैसा कि पहले कहा गया है, इकाइयों की पुनर्खरीद, इकाइयों का मोचन या ब्याज या लाभांश का भुगतान भी एक योजना के व्यवसाय का एक हिस्सा है। विनियमन 44 के खंड (2) को ध्यान में रखते हुए, एक म्यूचुअल फंड केवल ए. एन. के. एल. एन. टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाओं पी. वी. टी. के लिए उधार ले सकता है।

लिमिटेड। वी. अमृता गर्ग [संजीव खन्ना, जे।]

पुनर्खरीद, इकाइयों के मोचन, ब्याज या लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से अस्थायी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य

इकाई-धारकों को। उदाहरण के लिए, यदि 'ओपन एंडेड स्कीम' के संबंध में इकाई-धारकों द्वारा इकाइयों के मोचन के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध किए जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड को अस्थायी तरलता की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, म्यूचुअल फंड के लिए केवल मोचन राशि के भुगतान के लिए उधार लेने की अनुमति है।

इसलिए, विनियमन 44 के खंड (2) में निर्दिष्ट किए गए उधार निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड या योजना की 'व्यावसायिक गतिविधियों' के बराबर होंगे, क्योंकि ऐसे उधार मोचन की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं जो योजना के व्यवसाय का एक हिस्सा है। 227. विनियम 40 विनियम 41 के साथ जुड़ा हुआ है। विनियमन 40 को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही विनियमन 39 के खंड (3) का अनुपालन किया जाता है, म्यूचुअल फंड की योजना की 'व्यावसायिक गतिविधियाँ' बंद हो जानी चाहिए। इकाइयों का निर्माण या रद्द करना और उक्त योजना की इकाइयों को जारी करना या उनका मोचन करना भी बंद होना चाहिए। कारण यह है कि विनियमन 41 के खंड (2) के उपखंड (ए) के अनुसार, समापन के तहत योजना की सभी परिसंपत्तियों की आवश्यकता है:

योजना की देनदारियाँ। दूसरा, समापन के संबंध में खर्चों को अलग करने की आवश्यकता है और तीसरा, देनदारियों को चुकाने के बाद शेष राशि को योजना की परिसंपत्तियों में उनके संबंधित ब्याज के अनुपात में इकाई-धारकों को वितरित किया जाना है। म्यूचुअल फंड विनियमन के विनियमन 40 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस क्षण विनियमन 39 के खंड (3) का अनुपालन किया जाता है, उस समय उपलब्ध परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिक सृजन करके परिसंपत्तियों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दायित्व। यही कारण है कि मुक्ति तुरंत बंद होनी चाहिए। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विनियमन 44 के खंड (2) के संदर्भ में ए. एम. सी. द्वारा किए गए उधार, विनियमन 40 के खंड (ए) के अर्थ के भीतर एक योजना की व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं। यदि ऋण विनियमन 44 के खंड (2) के अनुसार लिए जाते हैं, तो उधारकर्ता के प्रतिस्थापन का कार्य, जैसा कि वर्तमान मामले में ए. एम. सी. और न्यासियों द्वारा किया गया है, को भी इस संबंध में व्यावसायिक गतिविधियों का एक हिस्सा माना जाएगा।

। "[2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

67. कुछ पक्षों द्वारा स्थापित मामला इस उक्ति से भिन्न है

उच्च न्यायालय द्वारा घोषित। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि म्यूचुअल फंड को विनियमन 39 (3) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले प्राप्त मोचन के अनुरोध का सम्मान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विनियमन 53 (बी) का सम्मान किया जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए, भले ही मोचन के भुगतान का समय, उसमें निर्धारित 10 दिनों की अवधि, विनियमन 39 (3) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख के बाद आती है। उनकी राय है कि वैध मोचन अनुरोधों का सम्मान नहीं करना अवैध होगा। उनकी यह भी राय है कि ए. एम. सी. को इस तरह के वैध मोचन अनुरोधों का सम्मान करने के लिए निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि वैध मोचन अनुरोध समापन की कट-ऑफ तिथि से पहले प्राप्त हो जाते हैं।

68. इससे पहले कि हम इस पहलू का जवाब दें, हम चाहते हैं कि और अधिक हो।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर स्पष्टता, जो कारण दर्शाएँ नोटिसों आदि के अनुसरण में कार्यवाही समाप्त होने के बाद संभव होगी। विशेष रूप से, कई अपीलकर्ताओं ने इस पहलू पर हमें संबोधित नहीं किया है, उनकी शिकायत यह है कि उन्हें फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही, उन्होंने विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं और अवैधताओं का सुझाव देने के लिए समाचार रिपोर्टों या लेखों का उल्लेख किया, जिसमें तरजीही भुगतान, विश्वास का उल्लंघन और भ्रष्टाचार में कुप्रबंधन शामिल हैं।

योजना की निधियों की तैनाती, प्रस्ताव दस्तावेज या योजना सूचना दस्तावेज में बताए गए निवेश उद्देश्यों का उल्लंघन और मूल्य संवेदनशील जानकारी आदि को रोककर विश्वासघात। एक बार तथ्य

यदि हम स्पष्ट और सुनिश्चित हैं, तो हम संबंधित व्याख्याओं के व्यावहारिक प्रभाव की सराहना और समझने में सक्षम होंगे, अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई व्याख्या और एस. ई. बी. आई., अपीलकर्ताओं, न्यासियों और ए. एम. सी. द्वारा रखी और पसंद की जाने वाली व्याख्या। यह है।

यह भी कारण है कि हमने तथ्यों का उल्लेख करने और उन पर टिप्पणी करने से परहेज किया है और इस स्तर पर कई मुद्दों को खुला छोड़ दिया है। फिर भी, हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश और पहले के आदेश में हमारी टिप्पणियों को किसी भी विवादित तथ्यों पर बाध्यकारी तथ्यात्मक निष्कर्षों या निष्कर्षों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जो कारण बताने की सूचना और परिणामी निर्णय का विषय हो सकता है। बेशक, ऊपर बताए गए हद तक विनियमन 18 (15) (सी) और विनियम 39 से 42 की कानूनी व्याख्या निर्णायक और बाध्यकारी है। स्पष्टता के लिए, हम यह भी देखेंगे कि तथ्यों पर या कानूनी मुद्दों पर भी उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निष्कर्ष विषय नहीं है

इस आदेश के मामले या 12 फरवरी, 2021 के हमारे पहले के आदेश को निर्णायक और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा क्योंकि निष्कर्ष विचाराधीन हैं और व्याख्या के साथ-साथ गुण-दोष पर इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

नि

र्देश जारी किए गए।

निधि जैन